रिकूट आरक्षी नागरिक पुलिस आधारभूत प्रशिक्षण
अन्तःविषय प्रशिक्षण कार्यक्रम (मॉडल) प्रथम चरण (तीन माह)

कार्य दिवस	प्रथम कालांश 0930 से 1010 बजे	द्वितीय कालांश 1010 से 1050 बजे	तृतीय कालांश 1050 से 1130 बजे	चतुर्थ कालांश 1130 से 1210 बजे	पंचम कालांश 1225 से 1305 बजे	षष्टम कालांश 1305 से 1345 बजे
1	कोर्स का उद्घाटन एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म भरवाया जाना। **संस्था प्रभारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी**		**प्रथम समूहः भा0द0वि0–** प्रस्तावना धारा 1 से 4 **श्री**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन**– वरिष्ठ अधिकारीगण की शक्तियॉ एवं कर्तव्य पैरा 1 से 4 **श्री**.....	**पंचम समूहः पुलिस का संगठन–** राज्य, परिक्षेत्र, जिला, सर्किल, थाना, चौकी तथा ग्राम स्तर **श्री**.....	**सप्तम समूह भा0संविधान–** मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 16 **श्री** .....
2	**अष्टम समूहः कंप्यूटर प्रशिक्षण–** कंप्यूटर का पुलिस विभाग में प्रयोग एवं उपयोगिता। **पुलिस कंप्यूटर केन्द्र अथवा स्थानीय पुलिस कंप्यूटर सेल के अधिकारी द्वारा**		**प्रथम समूहः भा0द0वि0–** प्रस्तावना धारा 1 से 4 **श्री**	**पंचम समूह– पुलिस का संगठन–** रिजर्व पुलिस लाइन, अभियोजन शाखा, डीसीआरबी **श्री**.....	**द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–** पुलिस अधिनियम 1861 **श्री**	**सप्तम समूहः भारतीय संविधान–**मौलिक अधिकार अनुच्छेद 17 से 20 **श्री** .....
3	**अष्टम समूहः कंप्यूटर प्रशिक्षण–** कंप्यूटर का परिचय, सिद्धान्त एवं कार्यप्रणाली, गुण तथा कंप्यूटर हार्डवेयर। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**		**प्रथम समूहः भा0द0वि0–** साधारण स्पष्टीकरण धारा 6 से 12 **श्री**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन**– वरिष्ठ अधिकारीगण की शक्तियॉ एवं कर्तव्य पैरा 5 से 9 **श्री**.....	**द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–** पुलिस अधिनियम 1861 **श्री**	**सप्तम समूहः जेण्डर सेंसटाइजेशन–** भारत में महिलाओं की स्थिति तथा लैंगिक भेदभाव, उसके कारण एवं प्रकार।
4	**षष्टम समूहः विधि विज्ञान–** विधि विज्ञान के सिद्धान्त एवं इतिहास। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**	**सप्तम समूहः भा0संविधान–** मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 से 24 **श्री**	**प्रथम समूहः भा0द0वि0–** साधारण स्पष्टीकरण धारा 14, 17, 18 से 21 **श्री**	**तृतीय समूहः** कानून एवं शांति व्यवस्था का महत्व। **श्री**	**द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–** पुलिस अधिनियम 1861 **श्री**	**अष्टम समूहः कंप्यूटर प्रशिक्षण–** कंप्यूटर साफ्टवेयर। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**

5	**<u>षष्टम समूहः विधि विज्ञान</u>–** विधि विज्ञान संस्थान तथा वि ेशज्ञ एवं वैज्ञानिक साक्ष्य सबंधी कानून। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**	**<u>प्रथम समूहः भा0द0वि0</u>–** साधारण स्पष्टीकरण धारा 22 से 29 **श्री .....**	**<u>तृतीय समूहः</u>** कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने में जनता की भागीदारी की आवश्यकता एवं महत्व। **श्री .....**	**<u>द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0</u>–** पुलिस अधिनियम 1861 **श्री .....**	**<u>अष्टम समूहः कंप्यूटर प्रशिक्षण</u>–** सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ''ए0एल0 यू0, सी0यू0, मेमोरी यूनिट। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**
6	**<u>चतुर्थ समूहः अपराध एवं दण्ड शास्त्र</u>–** अपराध की परिभाशा तत्व, प्रकार एवं अपराधियों के प्रकार। **अतिथि व्याख्यान (ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट अथवा सम्बन्धित विशय के महाविद्यालय के प्रवक्ता अथवा विशय विशेषज्ञ)**	**<u>द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0</u>–** पुलिस अधिनियम 1861 **श्री .....**	**<u>सप्तम समूहः भा0संविधान</u>–** मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 **श्री .....**	**<u>प्रथम समूहः भा0द0वि0</u>–** साधारण स्पष्टीकरण धारा 29ए, 30, 52ए **श्री .....**	**<u>अष्टम समूहः कंप्यूटर प्रशिक्षण</u>–**सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ''ए0एल0 यू0, सी0यू0, मेमोरी यूनिट। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**
7	**<u>चतुर्थ समूहः अपराध एवं दण्ड शास्त्र</u>–** अपराध के कारण एवं सिद्वान्त। **अतिथि व्याख्यान (ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट अथवा सम्बन्धित विशय के महाविद्यालय के प्रवक्ता अथवा विशय विशेषज्ञ)**	**<u>प्रथम समूहः भा0द0वि0</u>–** दण्ड के विशय में धारा 53 एवं 75 **श्री .....**	**<u>पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन</u>–** वरिष्ठ अधिकारीगण की शक्तियॉ एवं कर्तव्य पैरा 10 से 13 **श्री.....**	**<u>तृतीय समूहः</u>** कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने में उ0प्र0 पुलिस रेग्यूलेशन के प्रमुख प्राविधान। **श्री .....**	
8	**<u>षष्टम समूहः विधि विज्ञान</u>–** घटनास्थल ''परिभाशा, प्रकार, निरीक्षण के नियम एवं विधियॉ, घटनास्थल की सुरक्षा से लाभ। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**	**<u>प्रथम समूहः भा0द0वि0</u>–** साधारण अपवाद धारा 76 से 80 **श्री .....**	**<u>द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0</u>–** पुलिस बल अधिकारों का निर्बन्धन अधिनियम 1866 धारा 2, 3 एवं 5 **श्री .....**	**<u>पंचम समूहः पुलिस का संगठन</u>–** फील्ड यूनिट, विशेश जॉच प्रकोष्ठ, महिला अपराध सेल, महिला पुलिस थाना। **श्री.....**	**<u>अष्टम समूहः कंप्यूटर प्रशिक्षण</u>–**इनपुट डिबाइस – की–बोर्ड, माउस, स्कैनर। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**
9	**<u>चतुर्थ समूहः अपराध एवं दण्ड शास्त्र</u>–** अपराध का निवारण एवं दण्ड शास्त्र। **अतिथि व्याख्यान (ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट अथवा सम्बन्धित विशय के महाविद्यालय के प्रवक्ता अथवा विशय विशेषज्ञ)**	**<u>पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन</u>–** वरिष्ठ अधिकारीगण की शक्तियॉ एवं कर्तव्य पैरा 14 से 17 **श्री.....**	**<u>प्रथम समूहः भा0द0वि0</u>–** साधारण अपवाद धारा 81 से 85 **श्री .....**	**<u>तृतीय समूहः</u>** कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस एक्ट के प्रमुख प्राविधान। **श्री .....**	

10	**<u>षष्टम समूहः विधि विज्ञान</u>–** घटनास्थल पर मलवा, रेशे, कपड़े, धूल, शीशा, पेन्ट, तार, जलावशेश, रक्त, अस्थित,	**<u>तृतीय समूहः</u>** कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने में द0प्र0सं0 के प्रमुख प्राविधान।	**<u>षष्टम समूहः प्राथमिक चिकित्सा</u>–** प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ एवं लाभ तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन तथा

	मॉस के टुकड़े आदि सुरक्षित रखना एवं एकत्र करना तथा साक्ष्य में इनकी उपयोगिता। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**		**श्री .....**		प्राथमिक चिकित्सा के 9 सुनहरे नियम। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सालय के चिकित्सक)**	
11	**चतुर्थ समूहः अपराध एवं दण्ड शास्त्र–** दण्ड ''आवश्यकता एवं सिद्वान्त, सुधार एवं पुर्नवास, सामाजिक पुनः निर्माण। **अतिथि व्याख्यान (ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट अथवा सम्बन्धित विशय के महाविद्यालय के प्रवक्ता अथवा विशय विशेषज्ञ)**		**प्रथम समूहः द0प्र0सं0–** परिभाशायें धारा 2 ए से 2 वाई **श्री .....**		**षष्टम समूहः प्राथमिक चिकित्सा–** घायल होने, सॉप काटने, महामारी फैलाने एवं आपदा के समय प्राथमिक सहायता। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सालय के चिकित्सक)**	
12	**षष्टम समूहः विधि विज्ञान–** घटनास्थल पर लकड़ी, धातु के टुकडे आदि सुरक्षित रखना एवं एकत्र करना तथा साक्ष्य में इनकी उपयोगिता। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**	**पंचम समूहः पुलिस का संगठन–** एल0आई0यू0, सवार पुलिस शाखा, होमगार्ड संगठन। **श्री.....**	**प्रथम समूहः भा0द0वि0–** साधारण अपवाद धारा 86 से 90 **श्री .....**	**प्रथम समूहः द0प्र0सं0–** वरिश्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियॉ धारा 36 **श्री .....**	**द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–** आयुध अधिनियम 1959 **श्री .....**	**षष्टम समूहः प्राथमिक चिकित्सा–** शरीर पर आई खुली चोटों एवं हड्डी टूटने की दशा में प्राथमिक उपचार। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सालय के चिकित्सक)**
13	**चतुर्थ समूह– अपराध एवं दण्ड शास्त्र–** देश की कारागार प्रणाली, उद्भव एवं विकास, खुला कारागार। **अतिथि व्याख्यान (जेल के जेलर)**		**प्रथम समूहः भा0द0वि0–** साधारण अपवाद धारा 91 से 95 **श्री .....**	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण–** इनपुट डिबाइस– आवाज इनपुट करने वाले सिस्टम, ओ0एम0आर0, कार्ड रीडर, वेब कैमरा। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–** आयुध अधिनियम 1959 **श्री .....**	**तृतीय समूह– थाना स्तर पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के आधार**– (क) संवेदनशील तथा समस्याग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित करना। **श्री .....**

14	**चतुर्थ समूह– अपराध एवं दण्ड शास्त्र–** परिवीक्षा व पैरोल प्रणाली, सुधार एवं पुर्नवास, उपचार एवं अपराध की पुर्नावृत्ति पर नियंत्रण। **अतिथि व्याख्यान (जेल के जेलर)**	**पंचम समूह– पुलिस रेग्यूलेशन**– रिजर्व निरीक्षक और उपनिरीक्षक कर्तव्य पैरा 18 से 20	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण–** आउटपुट डिवाइस– मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, वॉइस रिसपॉन्स सिस्टम (स्पीकर) इत्यादि। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–** आयुध अधिनियम 1959 **श्री .....**	**तृतीय समूह– थाना स्तर पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के आधार**– (ख) असमाजिक तत्वों के सम्बन्ध में अभिसूचना एकत्र करना। **श्री .....**	

15	**<u>षष्टम समूह– विधि विज्ञान</u>–** अंगुल चिन्ह ''परिभाशा, महत्व, छाप के प्रकार एवं उठाने की प्रकिया।'' **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**		**<u>प्रथम समूहः भा0द0वि0</u>–** साधारण अपवाद धारा 96 से 100 **श्री .....**	**<u>पंचम समूह– पुलिस रेग्यूलेशन</u>**– रिजर्व निरीक्षक और उपनिरीक्षक कर्तव्य पैरा 21 से 24 **श्री.....**	**<u>द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0</u>–** आयुध अधिनियम 1959 **श्री .....**	**<u>तृतीय समूह– थाना स्तर पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के आधार</u>**– (ख) थानों के अभिलेख अध्यावधिक रखना। **श्री .....**
16	**<u>अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण</u>–** आउटपुट डिवाइस– प्रिन्टर और उनके प्रकार, मॉनीटर। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों से**	**<u>सप्तम समूह– भा0संविधान</u>–** मौलिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 32 **श्री .....**	**<u>पंचम समूह– पुलिस का संगठन</u>–** पुलिस कमिश्नर सिस्टम। **श्री.....**	**<u>पंचम समूह–</u>** उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमाबली 1956 **श्री.....**	**<u>द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0</u>–** भारतीय विस्फोटक अधि0 1854 धारा 3, 4, 5 व 9बी **श्री .....**	**<u>तृतीय समूह– थाना स्तर पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के आधार</u>**– (ख) थानों के अभिलेख अध्यावधिक रखना। **श्री .....**
17	**<u>चतुर्थ समूह– अपराध निरोध</u>–** गश्त के प्रकार एवं नियम व उपयोगिता। **श्री.....**		**<u>प्रथम समूहः भा0द0वि0</u>–** साधारण अपवाद धारा 101 से 106 **श्री .....**	**<u>प्रथम समूहः द0प्र0सं0</u>–** वरिश्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियॉ धारा 38, 39 **श्री .....**	**<u>पंचम समूह–</u>** उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमाबली 1956 **श्री.....**	**<u>तृतीय समूह– थाना स्तर पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के आधार</u>**– (ख) थानों के अभिलेख अध्यावधिक रखना। **श्री .....**
18	**<u>अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण–</u>** विभिन्न स्टोरेज डिवाइस– आप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, सी0डी0, डी0वी0डी0, फ्लापी इत्यादि का ज्ञान एवं विशेशताएं। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**		**<u>सप्तम समूह– भा0संविधान</u>–** मौलिक अधिकार अनुच्छेद 33 से 35 **श्री .....**	**<u>पंचम समूह– पुलिस रेग्यूलेशन</u>**– उपनिरीक्षक और सिविल पुलिस के अवर अधीनस्थ अधिकारी पैरा 43 से 47 **श्री .....**	**<u>पंचम समूह–</u>** उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमाबली 1956 **श्री.....**	**<u>तृतीय समूह– थाना स्तर पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के आधार</u>**– (ख) थानों के अभिलेख अध्यावधिक रखना। **श्री .....**

19	**<u>चतुर्थ समूह–अपराध निरोध</u>–** गाढ़ाबन्दी ''प्रकार एवं अपराध निरोध में उपयोगिता।'' **श्री.....**		**<u>प्रथम समूहः भा0द0वि0</u>–** दुष्प्रेरण के सम्बन्ध में धारा 107 से 110 **श्री .....**	**<u>पंचम समूह– पुलिस रेग्यूलेशन</u>**– उपनिरीक्षक और सिविल पुलिस के अवर अधीनस्थ अधिकारी पैरा 48 से 52 **श्री.....**	**<u>पंचम समूह–</u>** उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमाबली 1956 **श्री.....**	**<u>तृतीय समूह– थाना क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में निम्न का योगदान तथा कान्स0 की भूमिका</u>–** (क) थाना बीट्स **श्री .....**
20	**<u>षष्टम समूह– विधि विज्ञान</u>–** अंगुल चिन्ह ''फिंगर प्रिन्ट का मिलान करना, सर्च फार्म एवं रिकार्ड फार्म का ज्ञान तथा इसका उपयोग।		**<u>प्रथम समूहः द0प्र0सं0</u>–** वरिश्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियॉ धारा 40	**<u>पंचम समूह– पुलिस रेग्यूलेशन</u>**– उपनिरीक्षक और सिविल पुलिस के अवर	**<u>द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0</u>–** विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	**<u>तृतीय समूह– थाना क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में निम्न का</u>**

	अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)		**श्री .....**	अधीनस्थ अधिकारी पैरा 55 से 59 **श्री.....**	1908 धारा 1 से 3 **श्री .....**	**<u>योगदान तथा कान्स0 की भूमिका</u>–** (ख) थाना पुलिस द्वारा गश्त **श्री .....**
21	**<u>चतुर्थ समूह– अपराध निरोध</u>**– निगरानी एवं इसके प्रकार तथा उपयोगिता। **श्री.....**		**<u>प्रथम समूहः भा0द0वि0</u>**– दुष्प्रेरण के सम्बन्ध में धारा 114 व 116 **श्री .....**	**<u>पंचम समूह– पुलिस रेग्यूलेशन</u>**– उपनिरीक्षक और सिविल पुलिस के अवर अधीनस्थ अधिकारी पैरा 61 से 64 **श्री.....**	**<u>द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0</u>**– विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 धारा 4 से 7 **श्री .....**	**<u>तृतीय समूह– थाना क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में निम्न का योगदान तथा कान्स0 की भूमिका</u>**– (ग) थाना पुलिस द्वारा निगरानी **श्री .....**
22	**<u>अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण</u>**– ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार (विन्डोज एक्स0पी0 / विस्टा / 98 / लाइनेक्स) **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**<u>प्रथम समूहः द0प्र0सं0</u>**– व्यक्तियों की गिरफ्तारी धारा 41 से 44 **श्री .....**	**<u>सप्तम समूह– जेण्डर सेंसटाइजेशन</u>**– महिलाओं के विरूद्व अपराध / अत्याचार के प्रकार– कारण एवं आंकडे। **श्री .....**		**<u>द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0</u>**– राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम धारा 2 से 7, 12, 13, 15, 17 **श्री .....**	**<u>तृतीय समूह– थाना क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में निम्न का योगदान तथा कान्स0 की भूमिका</u>**– (घ) थाना पुलिस द्वारा गाढ़ाबन्दी **श्री .....**

23	**<u>अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण</u>**– एप्लिकेशन साफ्टवेयर का ज्ञान। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**<u>चतुर्थ समूह– अपराध निरोध</u>**– ग्राम सुरक्षा समितियॉ ''महत्व एवं उपयोगिता।'' **श्री.....**	**<u>प्रथम समूहः भा0द0वि0</u>**– आपराधिक षणयंत्र धारा 120क एवं ख **श्री .....**	**<u>सप्तम समूह– जेण्डर सेंसटाइजेशन</u>**– पुलिस थाना स्तर पर पीड़ित महिला के प्रति पुलिस प्रतिकिया / पुलिस का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण एवं व्यवहार व कानूनी दृष्टि से पुलिस का अपेक्षित व्यवहार। **श्री .....**	**<u>द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0</u>**– विधि विरूद्व गतिविधियॉ (निवारण) अधिनियम 1967 (यथा संशोधित 2008–09 राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के सभी उपबन्धों सहित) **श्री .....**	**<u>सप्तम समूह– भारतीय संविधान</u>**– राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 37 से 40 **श्री .....**

24	**<u>षष्टम समूह– विधि विज्ञान–</u>** छाप अंगुष्ठ को सुरक्षित रखना एवं साक्ष्य में उसकी उपयोगिता।'' **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**	**<u>चतुर्थ समूह– अपराध निरोध–</u>** मोहल्ला सुरक्षा समितियॉ ''महत्व एवं उपयोगिता।'' **श्री**.....	**<u>तृतीय समूह– भीड़ नियंत्रण–</u>** भीड़ के प्रकार तथा भीड़ का मनोविज्ञान व व्यवहार **श्री**.....		**<u>द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–</u>** विधि विरूद्व गतिविधियॉ (निवारण) अधिनियम 1967 (यथा संशोधित 2008–09 राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के सभी उपबन्धों सहित) **श्री**	**<u>सप्तम समूह– भारतीय संविधान–</u>** राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 41 से 44 **श्री** .....
25	**<u>तृतीय समूह– भीड़ नियंत्रण–</u>** भीड़ नियंत्रण के सिद्वान्त एवं रणनीति, अभिसूचना संकलन, विधिक उपाय, परामर्श एवं मध्यस्थता। **श्री**.....		**<u>पंचम समूह– गार्ड एवं स्कोर्ट नियम</u>**– नियम संख्या 7 से 10, 12, 14, 15 **श्री**.....	**<u>प्रथम समूहः भा0द0वि0–</u>** राज्य के विरूद्व के अपराध धारा 121, 121क एवं 122 **श्री**	**<u>द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–</u>** विधि विरूद्व गतिविधियॉ (निवारण) अधिनियम 1967 (यथा संशोधित 2008–09 राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के सभी उपबन्धों सहित) **श्री**	**<u>सप्तम समूह– जेण्डर सेंसटाइजेशन–</u>** पुलिस थाना स्तर पर पीड़ित महिला के प्रति पुलिस प्रतिकिया/पुलिस का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण एवं व्यवहार व कानूनी दृष्टि से पुलिस का अपेक्षित व्यवहार। **श्री** .....
26	**<u>षष्टम समूह– विधि विज्ञान–</u>** पद चिन्ह (फुट प्रिन्ट) का महत्व तथा घटनास्थल पर पदछाप सुरक्षित रखना एवं साक्ष्य में उसकी उपयोगिता। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**		**<u>प्रथम समूहः द0प्र0सं0–</u>** व्यक्तियों की गिरफ्तारी धारा 45 से 48 **श्री**	**<u>पंचम समूह– गार्ड एवं स्कोर्ट नियम</u>**– नियम संख्या 17 से 19, 21, 22, 24 **श्री**.....	**<u>सप्तम समूह – सामान्य ज्ञान (क) आर्थिक–</u>** देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था। **श्री**	

27	**<u>सप्तम समूह– समाज के अन्य वर्गों के प्रति दृष्टिकोण–</u>**पुलिस का समाज के दलित व पिछड़े वर्गों के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण तथा वर्तमान स्थिति व अपेक्षित व्यवहार एवं उत्तरदायित्व। **श्री**	**<u>चतुर्थ समूर्ह– अपराध निरोध–</u>** सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों/ आग्नेयास्त्र धारकों तथा चौकीदारों की सहायता प्राप्त करना। **श्री**.....	**<u>प्रथम समूहः भा0द0वि0–</u>** लोक प्रशांति के विरूद्व अपराध धारा 141 से 145 **श्री**	**<u>पंचम समूह– गार्ड एवं स्कोर्ट नियम</u>**– नियम संख्या 32, 37, 62, 76, 106 **श्री**.....	**<u>द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–</u>** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 महत्वपूर्ण धारायें **श्री**	**<u>सप्तम समूह – सामान्य ज्ञान (क) आर्थिक–</u>** प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर। **श्री** .....
28	**<u>षश्टम समूह– विधि विज्ञान–</u>** पद चिन्ह (फुट प्रिन्ट) पदछाप ढूंढना और	**<u>चतुर्थ समूह– अपराध निरोध–</u>** अपराधिक सूचनाओं का एकत्रीकरण।	**<u>तृतीय समूह– भीड़ नियंत्रण–</u>** शान्ति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ रोकथाम की कार्यवाही।		**<u>द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–</u>** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम	**<u>सप्तम समूह– समाज के अन्य वर्गों के प्रति दृष्टिकोण–</u>**पुलिस का

	उठाने की विधियाँ, पहचान, तलुओं और जूतों के चिन्ह/ प्रिन्ट्स एवं पाद चिन्ह लेने के उपकरण। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**	**श्री**.....	**श्री**.....		1988 महत्वपूर्ण धारायें **श्री**	समाज के दलित व पिछड़े वर्गों के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण तथा वर्तमान स्थिति व अपेक्षित व्यवहार एवं उत्तरदायित्व। **श्री** .....
29	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण–** ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य घटक– डेस्कटॉप के पोप–अप मेन्यू के सभी विकल्प, सिस्टम आईकॉन मेन्यू के विकल्प। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**चतुर्थ समूह– अपराध निरोध–** जनता की शिकायतों की जॉच। **श्री**.....	**प्रथम समूहः भा0द0वि0–** लोक प्रशांति के विरूद्व अपराध धारा 146 से 150 **श्री**	**पंचम समूह– गार्ड एवं स्कोर्ट नियम**– नियम संख्या 153, 163, 185, 194, 196, 197 **श्री**.....	**सप्तम समूह– भा0 संविधान–** राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 45 से 48 **श्री**	**सप्तम समूह– सामान्य ज्ञान (क) आर्थिक–** संसाधनों का वितरण– रूपया कहॉ से आता है। **श्री** .....

30	**अष्टम समूह– पुलिस रेडियो संचार प्रणाली–** पुलिस रेडियो दूरसंचार प्रणाली (वायरलैस संचार) आवश्यकता एवं विधि। **अतिथि व्याख्यान (सहायक रेडियो अधिकारी द्वारा)**		**प्रथम समूहः द0प्र0सं0–** व्यक्तियों की गिरफ्तारी धारा 49 से 50 **श्री**	**द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–** अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधि0 1989 धारा 2 से 7 **श्री**	**सप्तम समूह– सामान्य ज्ञान (क) आर्थिक–** प्रदेश का बजट प्राथमिकता एवं चुनाव। **श्री**	
31	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण–** ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य घटक– आइकॉन और उनके प्रकार, टास्कबार, विन्डो के अवयव।	**पंचम समूह– पुलिस रेग्यूलेशन**– सशस्त्र पुलिस एवं बल प्रयोग के सिद्वान्त पैरा 65 से 67 **श्री**.....	**तृतीय समूह– भीड़ नियंत्रण–** आशंकित खतरे की रोकथाम हेतु धारा 144 द0प्र0सं0 की कार्यवाही। **श्री**.....		**द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–** अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधि0 1989 धारा 10, 13, 16, 17 **श्री**	**सप्तम समूह– भा0संविधान–** राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 49 से 51 **श्री** .....

	स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके					
32	**<u>षष्टम समूह– विधि विज्ञान–</u>** टायर मार्क्स, स्किड़ मार्क्स। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**	**<u>प्रथम समूहः भा0द0वि0–</u>** लोक प्रशांति के विरूद्व अपराध धारा 151 से 155 **श्री .....**	**<u>प्रथम समूहः द0प्र0सं0–</u>** व्यक्तियों की गिरफ्तारी धारा 51 **श्री .....**	**<u>द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–</u>** अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधि0 1989 धारा 19, 20, 22 **श्री .....**	**<u>सप्तम समूह– समाज के अन्य वर्गों के प्रति दृष्टिकोण–</u>** मानसिक रूप से बीमार, विकलांग, नशेडी, पागल एवं आत्मघाती व्यक्ति के बारे में पुलिस का दृश्टिकोण एवं उत्तरदायित्व। **श्री .....**	
33	**<u>अष्टम समूह– पुलिस रेडियो संचार प्रणाली–</u>** वी0एच0एफ0, रिपीटर, यू0एच0एफ0 संचार प्रणाली। **अतिथि व्याख्यान (सहायक रेडियो अधिकारी द्वारा)**		**<u>तृतीय समूह– भीड़ नियंत्रण–</u>** औद्योगिक विवादों के समय पुलिस व्यवस्था (बन्द, हड़ताल व प्रदर्शन) **श्री.....**		**<u>द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–</u>** भारतीय रेल अधिनियम 1989 धारा 137 से 142 तथा 144 से 147 **श्री .....**	**<u>द्वितीय समूह– केस लॉ–</u>** दिलीप कुमार बसु बनाम बंगाल राज्य 1997 एससीसी 642 गिरफ्तारी के समय के अधिकारों को इस विधि व्यवस्था में परिभाशित करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये गये हैं। **श्री .....**
34	**<u>अष्टम समूह– पुलिस रेडियो संचार प्रणाली–</u>** सी0सी0आर0 एवं डी0सी0आर0 की कार्यप्रणाली। **अतिथि व्याख्यान (सहायक रेडियो अधिकारी द्वारा)**	**<u>अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण–</u>** विन्डोज द्वारा फाइल प्रबन्ध– फाइल, फोल्डर, फोल्डर ट्री, फाइलों और फोल्डरों को सलेक्ट करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**<u>प्रथम समूहः भा0द0वि0–</u>** लोक प्रशांति के विरूद्व अपराध धारा 156 से 160 **श्री .....**	**<u>पंचम समूह– पुलिस रेग्यूलेशन</u>**– सशस्त्र पुलिस एवं बल प्रयोग के सिद्वान्त पैरा 68 से 70 **श्री.....**	**<u>सप्तम समूह– सामान्य ज्ञान (क) आर्थिक–</u>** पुलिस बजट एवं उसका वितरण। **श्री .....**	
35	**<u>षष्टम समूह– विधि विज्ञान–</u>** विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थ एवं द्रव्यों का ज्ञान एवं उनकी पहचान। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**		**<u>सप्तम समूह– समाज के अन्य वर्गों के प्रति दृष्टिकोण–</u>** महिला/बच्चों/वृद्ध व्यक्तियों तथा अकेले रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों के प्रति पुलिस का दृश्टिकोण	**<u>प्रथम समूहः द0प्र0सं0–</u>** व्यक्तियों की गिरफ्तारी धारा 52 से 54 **श्री .....**	**<u>द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–</u>** भारतीय रेल अधिनियम 1989 धारा 150 से 157 तथा 159 से 167 **श्री .....**	**<u>सप्तम समूह– सामान्य ज्ञान (क) आर्थिक–</u>** कृषि अर्थव्यवस्था, भूमि सुधार। **श्री .....**

			एवं उत्तरदायित्व। **श्री .....**			
36	**चतुर्थ समूह– निरोधात्मक कार्यवाही–** धारा 107, 116, 116(3), 151 द0प्र0सं0 का प्रभावी प्रयोग। **श्री.....**		**अष्टम समूह– पुलिस रेडियो संचार प्रणाली–** मैप रीडिंग, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम की आधारभूत जानकारी। **अतिथि व्याख्यान (सहायक रेडियो अधिकारी द्वारा)**		**प्रथम समूहः भा0द0वि0–** लोक सेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराध धारा 166 से 170 **श्री .....**	**द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–** भारतीय रेल अधिनियम 1989 धारा 172 से 179 **श्री .....**
37	**सप्त समूह– समाज के अन्य वर्गों के प्रति दृष्टिकोण–** महिला/बच्चों/वृद्ध व्यक्तियों तथा अकेले रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों के प्रति पुलिस का दृश्टिकोण एवं उत्तरदायित्व। **श्री .....**	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण–** विन्डोज द्वारा फाइल प्रबन्ध– फाइल और फोल्ड़रों को बनाना, फाइल और फोल्डर का नामकरण और पुनः नामकरण, विन्डोज एक्सप्लोरर को कस्टमाइज करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**तृतीय समूह– भीड़ नियंत्रण–** हिंसक आन्दोलन व विधि विरूद्व जमाव– **साम्प्रदायिक** के विवादों पर नियंत्रण। **श्री.....**	**द्वितीय समूह– केस लॉ–** जोगेन्द्र कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य 1994 सीआरएलजे1981 गिरफ्तारी के समय के अधिकारों को इस विधि व्यवस्था में परिभाशित करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये गये हैं।	**पंचम समूह– भू–अभिलेख एवं पैमाइश**– अभिलेख एवं पैमाइश तथा डेसीमल एवं एकड़ प्रणाली **अतिथि व्याख्यान (विशय विशेषज्ञ द्वारा)**	

38	**षश्टम समूह– विधि विज्ञान–** जाली अभिलेखों एवं हस्तलेख, टंकित लेख, कंप्यूटर प्रिन्ट आउट, हस्ताक्षर इत्यादि का ज्ञान एवं प्रथम दृष्टया परीक्षण। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**	**प्रथम समूहः भा0द0वि0–** लोक सेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराध धारा 166 से 170 **श्री .....**	**पंचम समूह– पुलिस रेग्यूलेशन**– ग्राम पुलिस 89 से 92 **श्री.....**	**सप्तम समूह– भा0संविधान–** मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51ए **श्री .....**	**सप्तम समूह– आरक्षण नीति–** आरक्षण की अवधारणा आवश्यकता एवं उद्देश्य। **श्री .....**
39	**पंचम समूह–** जिला प्रशासन **अतिथि व्याख्यान (जिलाधिकारी अथवा अपर जिला अधिकारी अथवा परगना मजिस्ट्रेट)**	**तृतीय समूह– भीड़ नियंत्रण–** हिंसक आन्दोलन व विधि विरूद्व जमाव–**राजनैतिक** के विवादों पर नियंत्रण। **श्री.....**	**प्रथम समूहः द0प्र0सं0–** व्यक्तियों की गिरफ्तारी धारा 55 से 57 **श्री .....**	**द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–** रेल सम्पत्ति विधि विरूद्व कब्जा अधिनियम 1966 धारा 2 से 8 **श्री .....**	**सप्तम समूह– समाज के अन्य वर्गों के प्रति दृष्टिकोण–** खोये– पाये बच्चों के प्रति पुलिस का दृश्टिकोण एवं उत्तरदायित्व। **श्री .....**
40	**चतुर्थ समूह– निरोधात्मक कार्यवाही–** धारा 110 द0प्र0सं0 की कार्यवाही। **श्री.....**	**प्रथम समूहः भा0द0वि0–** निर्वाचन से सम्बन्धित अपराध धारा 171क से 171झ	**पंचम समूह– पुलिस रेग्यूलेशन**– ग्राम पुलिस 93 से 96 **श्री.....**	**द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–** भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 से 137	**सप्तम समूह– पुलिस का अन्य विभागों से ताल–मेल व उपयोगिता–** पुलिस का चिकित्सा विभाग से सबंध

			श्री		**श्री**	व उपयोगिता। **श्री** .....
41	**पंचम समूह–** पुलिस प्रशासन **पुलिस विभाग के कोई वरिष्ठ अधिकारी द्वारा व्याख्यान**		**तृतीय समूह– भीड़ नियंत्रण–** हिंसक आन्दोलन व विधि विरूद्व जमाव– **विद्यार्थी वर्ग** के विवादों पर नियंत्रण। **श्री**.....	**द्वितीय समूह– केस लॉ–** सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 सीआरएलजे 1099 इस विधि व्यवस्था में मा0 सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हथकड़ी का प्रयोग किन परिस्थितियां में अनुमन्य है।	**द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–** आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 2 से 5 **श्री**	**सप्तम समूह– मानवाधिकार एवं उससे सबंधित समस्यायें–** मानवाधिकार एवं पुलिस कार्यप्रणाली में उनकी महत्ता एवं उपयुक्तता। **श्री** .....
42	**चतुर्थ समूह– निरोधात्मक कार्यवाही–** धारा 129 द0प्र0सं0 की कार्यवाही। **श्री**.....		**प्रथम समूहः भा0द0वि0–** निर्वाचन से सम्बन्धित अपराध धारा 171क से 171झ **श्री**	**सप्तम समूह– पुलिस का अन्य विभागों से ताल–मेल व उपयोगिता–** पुलिस का जेल विभाग से संबंध व उपयोगिता– जेल से अपराधियों के रिकार्ड प्राप्त करना एवं उनका उपयोग। **श्री**	**द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–** आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 6 से 11 **श्री**	**सप्तम समूह– मानवाधिकार एवं उससे सबंधित समस्यायें–** मानवाधिकार एवं पुलिस कार्यप्रणाली में उनकी महत्ता एवं उपयुक्तता। **श्री** .....
43	**पंचम समूह–** ज्यूडिशियल प्रशासन **अतिथि व्याख्यान (जिला जज अथवा न्याय विभाग के कोई वरिष्ठ अधिकारी)**		**प्रथम समूहः भा0द0वि0–** लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकारी के अवमान के सम्बन्ध में धारा 182, 186, 188 **श्री**	**प्रथम समूहः द0प्र0सं0–** व्यक्तियों की गिरफ्तारी धारा 58 से 60 **श्री**	**द्वितीय समूहः केन्द्रीय विविध अधि0–** दहेज प्रतिशेध अधिनियम 1987 धारा 2 से 4 **श्री**	**तृतीय समूह– भीड़ नियंत्रण–** हिंसक आन्दोलन व विधि विरूद्व जमाव– **मजदूर वर्ग** के विवादों पर नियंत्रण। **श्री**.....
44	**षष्टम समूह– विधि विज्ञान–** जाली सिक्कों और नोट की पहचान। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**	**द्वितीय समूह– केन्द्रीय विविध अधि0–** दहेज प्रतिशेध अधिनियम 1987 धारा 5 से 8 **श्री**	**तृतीय समूह– भीड़ नियंत्रण–** हिंसक आन्दोलन के समय पुलिस बल प्रयोग करने के प्राविधान जिसमें पुलिस फायरिंग भी सम्मिलित है। **श्री**.....		**षष्टम समूह– व्यवहारिक प्रयोगः–** काइम किट से विभिन्न प्रकार की प्राथमिक जॉचे किये जाने का व्यवहारिक ज्ञान– **रक्त, मादक पदार्थ/द्रव्य।** **(फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**	
45	**प्रथम समूह– भा0साक्ष्य अधि0–** भा0 साक्ष्य अधिनियम का परिचय एवं तथ्यों की सुसंगति धारा 1,	**द्वितीय समूह– केस लॉ–** सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम आसाम राज्य 1995 एससीसी 743 इस विधि	**तृतीय समूह– मेला प्रबंध–** मेला क्षेत्रों में कान्स0 ना0पु0 की नियुक्ति एवं कर्तव्य। **श्री**.....	**पंचम समूह– पुलिस रेग्यूलेशन**– थानों में की गई रिर्पोट पैरा 97 से 100 **श्री**.....	**षष्टम समूह– व्यवहारिक प्रयोगः–** काइम किट से विभिन्न प्रकार की प्राथमिक जॉचे किये जाने का व्यवहारिक ज्ञान– **फिंगर प्रिन्ट, हस्तलेख एवं घटनास्थल।** **(फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान**	

	3 एवं 4 **श्री .....**	व्यवस्था में मा0 सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हथकड़ी का प्रयोग किन परिस्थितियां में अनुमन्य है। **श्री.....**			**संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**
46	**<u>चतुर्थ समूह– निरोधात्मक कार्यवाही–</u>** धारा 144 द0प्र0सं0 का प्रभावी प्रयोग (कफ्र्यू) लगाने के सम्बन्ध में विशेश रूप से। **श्री.....**	**<u>प्रथम समूहः भा0साक्ष्य अधि0–</u>** भा0 साक्ष्य अधिनियम का परिचय एवं तथ्यों की सुसंगति धारा 1, 3 एवं 4 **श्री .....**	**<u>द्वितीय समूहः स्थानीय अधिनियम–</u>** उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं असामाजिक कार्यकलाप निवारण अधि0 1986 धारा 2 से 4 **श्री .....**	**<u>षष्टम समूह– व्यवहारिक प्रयोगः–</u>** घटनास्थल से अव्यक्त अंगुलि चिन्हों का उठाना एवं विकसित करना। **(फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**	

47	**<u>षष्टम समूह– विधि विज्ञान–</u>** अस्त्रक्षेप विज्ञान ''आग्नेयास्त्र, कारतूस, बुलेट, छर्रे, टिकलियॉ, फायरिंग पाउडर के प्रकार, फायरिंग द्वारा प्रभावित अन्य पदार्थ। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**	**<u>प्रथम समूहः भा0साक्ष्य अधि0–</u>** तथ्यों की सुसंगति के विशय में धारा 5, 6 **श्री .....**	**<u>द्वितीय समूहः स्थानीय अधिनियम–</u>** उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं असामाजिक कार्यकलाप निवारण अधिनियम 1986 धारा 14, 19 **श्री .....**	**<u>पंचम समूह– पुलिस रेग्यूलेशन</u>**– थानों में की गई रिर्पोट पैरा 101 से 103 **श्री.....**	**<u>तृतीय समूह– मेला प्रबंध–</u>** मेला क्षेत्रों में सशस्त्र पुलिस एवं पी0ए0सी0 की नियुक्ति एवं कर्तव्य। **श्री.....**
48	**<u>षष्टम समूह– विधि विज्ञान–</u>** अस्त्रक्षेप विज्ञान ''फायरिंग दूरी का निर्धारण, रिकोचेटिंग, नाइट्राइट रेजीड्यू टेस्ट एवं विभिन्न प्रकार के चिन्ह।'' **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**	**<u>प्रथम समूहः भा0साक्ष्य अधि0–</u>** तथ्यों की सुसंगति के विशय में धारा 7, 8 **श्री .....**	**<u>द्वितीय समूहः स्थानीय अधिनियम–</u>** उ0प्र0 गुण्डा निवारण अधिनियम 1970 धारा 3, 4 **श्री .....**	**<u>तृतीय समूह– मेला प्रबंध–</u>** मेला क्षेत्रों में यातायात, पार्किंग, घुड़सवार, अग्निशमन पुलिस की व्यवस्था। **श्री.....**	**<u>पंचम समूह–</u>** उत्तर प्रदेश मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी सेवा नियमावली 2009 **श्री.....**
49	**<u>षष्टम समूह– विधि विज्ञान–</u>** अस्त्रक्षेप विज्ञान ''घटनास्थल पर अवशेशों को सुरक्षित रख्ना, एकत्र करना एवं पैक करना तथा इनकी साक्ष्य में उपयोगिता।'' **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**	**<u>प्रथम समूहः भा0साक्ष्य अधि0–</u>** तथ्यों की सुसंगति के विशय में धारा 9, 10 **श्री .....**	**<u>द्वितीय समूहः स्थानीय अधिनियम–</u>** उ0प्र0 गुण्डा निवारण अधिनियम 1970 धारा 10, 11 **श्री .....**	**<u>तृतीय समूह– मेला प्रबंध–</u>** मेला क्षेत्रों में संचार, वाच टावर, खोया–पाया केन्द्र की व्यवस्था। **श्री.....**	**<u>पंचम समूह–</u>** उत्तर प्रदेश मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी सेवा नियमावली 2009 **श्री.....**

50	**चतुर्थ समूह– निरोधात्मक कार्यवाही–** सम्पत्ति विवादों में 145 द0प्र0सं0 का प्रभावी प्रयोग। **श्री.....**	**प्रथम समूहः भा0साक्ष्य अधि0–** तथ्यों की सुसंगति के विशय में धारा 11 **श्री .....**	**द्वितीय समूहः स्थानीय अधिनियम–** उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 धारा 3, 4, 6, 7, 12, 15 **श्री .....**	**तृतीय समूह– मेला प्रबंध–** मेला क्षेत्रों में अपराधों की रोकथाम हेतु गश्त ड्यिूटी। **श्री.....**	**पंचम समूह–** उत्तर प्रदेश मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी सेवा नियमावली 2009 **श्री.....**
51	**अष्टम समूह– टेलीफोन/मोबाइल कम्यूनीकेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस–** मोबाइल हैण्ड सेट के विभिन्न फंग्शनों का प्रयोग। **अतिथि व्याख्यान (मोबाइल कंपनी इंजीनियर अथवा दूरसंचार विभाग के विशेशज्ञ अधिकारी द्वारा)**	**प्रथम समूहः भा0 साक्ष्य अधि0–** संस्वीकृतियॉ धारा 17 **श्री .....**	**द्वितीय समूहः स्थानीय अधिनियम–** उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 धारा 17 से 23, 25 **श्री .....**	**तृतीय समूह– मेला प्रबंध–** अभिसूचना संकलन हेतु विभिन्न श्रोतों का उपयोग। **श्री.....**	
52	**षष्टम समूह– मानव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा–** मानव शरीर की संरचना (एनाटॉमी) एवं मानव कियायें (फिजियोलॉजी) सामान्य जानकारी। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सालय के चिकित्सक)**	**प्रथम समूहः भा0 साक्ष्य अधि0–** संस्वीकृतियॉ धारा 24, 25 **श्री .....**	**द्वितीय समूहः स्थानीय अधिनियम–** उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 धारा 34, 35, 38, 42, 45, 48 से 52 **श्री .....**	**तृतीय समूह– त्यौहारों पर पुलिस व्यवस्था–** त्यौहारों का प्रबन्ध व पुलिस की भूमिका। **श्री.....**	

53	**अष्टम समूह– टेलीफोन/मोबाइल कम्यूनीकेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस–** मोबाइल फोन सेवा की कार्यप्रणाली एवं प्रकार। **अतिथि व्याख्यान (मोबाइल कंपनी इंजीनियर अथवा दूरसंचार विभाग के विशेशज्ञ अधिकारी द्वारा)**	**प्रथम समूहः भा0 साक्ष्य अधि0–** संस्वीकृतियॉ धारा 26, 27, 28 **श्री .....**	**द्वितीय समूहः स्थानीय अधिनियम–** उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 धारा 54 से 70, 72 **श्री .....**	**पंचम समूह– पुलिस रेग्यूलेशन**– अनुसंधान पैरा 104, 105, 110 **श्री.....**	**सप्तम समूह– पुलिस का अन्य विभागों से ताल–मेल व उपयोगिता–** पुलिस का शिक्षा विभाग से सबंध व उपयोगिता। **श्री .....**
54	**षष्टम समूह– मानव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा–** मानव रक्त का वर्गीकरण। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सालय के चिकित्सक)** **सप्तम समूह– भा0 साक्ष्य अधि0–** संस्वीकृतियॉ धारा 29 से 30 **श्री .....**	**पंचम समूह– पुलिस रेग्यूलेशन**– अनुसंधान पैरा 112, 115 से 117 **श्री.....**	**सप्तम समूह– मानवाधिकार एवं उससे सबंधित समस्यायें–** मानवाधिकार के संरक्षण एवं संवर्धन में पुलिस की भूमिका। **श्री .....**	**तृतीय समूह– त्यौहारों पर पुलिस व्यवस्था–** त्योहारों पर कान्स0 ना0पु0/सशस्त्र पुलिस एवं पी0ए0सी0 की नियुक्ति– कर्तव्य एवं आचरण। **श्री.....**	
55	**सप्तम समूह– मानवाधिकार एवं उससे सबंधित समस्यायें–** पुलिस द्वारा मानवाधिकार का उल्लघंन। **श्री .....**	**प्रथम समूहः भा0 साक्ष्य अधि0–** उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में नहीं बुलाया जा सकता है धारा 32 **श्री .....**	**द्वितीय समूहः स्थानीय अधिनियम–** गोवध निवारण अधिनियम धारा 3 एवं 5, 5ए, 8 एवं 13 **श्री .....**	**तृतीय समूह– त्यौहारों पर पुलिस व्यवस्था–** संवेदनशील स्थानों पर ड्यिूटी के दौरान सावधानियॉ। **श्री.....**	**पंचम समूह–** अवकाश, प्रोन्नित **लिपिकीय संवर्ग के अधिकारी द्वारा**
56	**षष्टम समूह–** विधि चिकित्सा शास्त्र तथा पुलिस कार्यों में इसका स्कोप (क्षेत्र) व महत्व एवं अदालत में वि ोशज्ञों की उपयोगिता। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सालय के चिकित्सक)**	**प्रथम समूहः भा0 साक्ष्य अधि0–** उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में नहीं बुलाया जा सकता है धारा	**पंचम समूह–** स्थानान्तरण नीति, पुरूस्कार के प्राविधान। **लिपिकीय संवर्ग के**	**तृतीय समूह– त्यौहारों पर पुलिस व्यवस्था–** यातायात व्यवस्था करना। **श्री.....**	

		32(1) **श्री .....**	**अधिकारी द्वारा**	
57	**<u>षष्टम समूह–</u>** मेडिकोलीगल दृष्टि से घटनास्थल का निरीक्षण एवं विधि चिकित्सीय साक्ष्यों का एकत्रीकरण। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सालय के चिकित्सक)**	**<u>प्रथम समूहः भा0 साक्ष्य अधि0</u>–** अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है धारा 45 **श्री .....**	**<u>पंचम समूह–</u>** आरक्षी मोहर्रिर ड्यिूटी, टेलीफोन ड्यिूटी **श्री .....**	**<u>तृतीय समूह– त्यौहारों पर पुलिस व्यवस्था</u>–** शान्ति व्यवस्था भंग करने वालों के विरूद्व कार्यवाही करना। **श्री.....**
58	**<u>षष्टम समूह–</u>** शारीरिक लक्षणों से व्यक्ति की पहचान, आयु निर्धारित करने की विधि। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सालय के चिकित्सक)**	**<u>प्रथम समूहः भा0 साक्ष्य अधि0</u>–** अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है धारा 47, 47ए **श्री .....**	**<u>पंचम समूह–</u>** पासपोर्ट की जॉच सम्बन्धी जानकारी। **स्थानीय अभिसूचना इकाई के किसी अधिकारी द्वारा**	**<u>सप्तम समूह– मानवाधिकार एवं उससे सबंधित समस्यायें–</u>** हिरासत में हिंसा– सताया जाना, मृत्यु व बलात्कार कारण एवं निवारण। **श्री .....**

59	**<u>षष्टम समूह–</u>** चोटों का वर्गीकरण। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सालय के चिकित्सक)**	**<u>टेलीफोन/मोबाइल कम्यूनीकेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्बलांस</u>–** लैण्ड लाइन (बेसिक) एवं डब्लू0एल0एल0 टेलीफोन की कार्यप्रणाली। **अतिथि व्याख्यान (मोबाइल कंपनी इंजीनियर अथवा दूरसंचार विभाग के विशेशज्ञ अधिकारी द्वारा)**	**<u>सप्तम समूह– भा0 साक्ष्य अधि0</u>–** अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है धारा 51 **श्री .....**	**<u>षष्टम समूह– व्यवहारिक प्रयोगः–</u>** पदचिन्ह उठाना (कास्टिंग)। **(फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**

<u>नोटः–</u> मध्यान्तर समय **1210** से **1225** बजे

रिक्रूट आरक्षी नागरिक पुलिस आधारभूत प्रशिक्षण
अन्तःविषय प्रशिक्षण कार्यक्रम (मॉडल) द्वितीय चरण (छः माह)

कार्य दिवस	प्रथम कालांश 0930 से 1010 बजे	द्वितीय कालांश 1010 से 1050 बजे	तृतीय कालांश 1050 से 1130 बजे	चतुर्थ कालांश 1130 से 1210 बजे	पंचम कालांश 1225 से 1305 बजे	षष्टम कालांश 1305 से 1345 बजे
60	**षष्टम समूहः** चोटों के प्रकार एवं लक्षण। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सालय के चिकित्सक)**		**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरूद्व अपराध धारा 191 से 195 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** स्वापक द्रव्य एवं मनप्रभावी पदार्थ अधि0 1985 धारा 8, 15 से 32 **श्री .....**	**तृतीय समूह–** चुनाव के समय पुलिस ड्यूटी एवं कान्स0 की भूमिका– (क) मतदान केन्द्रों पर समय से ड्यूटी हेतु पहुंचना। **श्री .....**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन–** पंचायतनामा, शव परीक्षा और घायल व्यक्तियों का उपचार पैरा 129, 135, 139 **श्री .....**
61	**षष्टम समूहः** मृत्यु से पूर्व तथा मृत्यु के बाद आई चोटों का ज्ञान। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सालय के चिकित्सक)**		**प्रथम समूह "द0प्र0सं0"–** हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकायें धारा 61 से 64 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** स्वापक द्रव्य एवं मनप्रभावी पदार्थ अधि0 1985 धारा 8, 15 से 32 **श्री .....**	**तृतीय समूह–** चुनाव के समय पुलिस ड्यूटी एवं कान्स0 की भूमिका– (ख) मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को शांतिपूर्वक मतदान करने का वातावरण प्रदान करना। **श्री .....**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन–** पंचायतनामा, शव परीक्षा और घायल व्यक्तियों का उपचार पैरा 142, 154, 146 **श्री .....**
62	**पंचम समूहः–** उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमाबली 1991 **श्री .....**		**चतुर्थ समूह– विवेचना व्यवहारिक पक्ष–** विवेचना का अभिप्राय, सिद्वान्त **श्री.....**	**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरूद्व अपराध धारा 201, 211 एवं 216 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** स्वापक द्रव्य एवं मनप्रभावी पदार्थ अधि0 1985 धारा 36अ एवं 41 से 68 **श्री .....**	**तृतीय समूह–** चुनाव के समय पुलिस ड्यूटी एवं कान्स0 की भूमिका– (ग) अपने व्यवहार में निष्पक्षता रखना। **श्री .....**
63	**पंचम समूहः–** उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमाबली 1991 **श्री .....**		**प्रथम समूह "द0प्र0सं0"–** हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकायें धारा 65 से 67 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** स्वापक द्रव्य एवं मनप्रभावी पदार्थ अधि0 1985 धारा 36अ एवं 41 से 68 **श्री .....**	**तृतीय समूह–** चुनाव के समय पुलिस ड्यूटी एवं कान्स0 की भूमिका– (घ) बैलेट बाक्स व वोटिंग मशीन व मतदान केन्द्र पर नियुक्त अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करना। **श्री .....**	**सप्तम समूह– भारतीय संविधान–** निर्वाचन आयोग 324, 325, 326 **श्री .....**

64	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण:** एम0एस0वर्ड– माइक्रोसाफ्ट वर्ड का परिचय। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**चतुर्थ समूह– विवेचना व्यवहारिक पक्ष–** विवेचक के गुण एवं विवेचना की प्रक्रिया। **श्री**.....	**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरूद्व अपराध धारा 216ए, 223, 224 भा0द0वि0 **श्री**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** स्वापक द्रव्य एवं मनप्रभावी पदार्थ अधि0 1985 धारा 36अ एवं 41 से 68 **श्री**	**तृतीय समूह–** चुनाव के समय पुलिस ड्यूटी एवं कान्स0 की भूमिका– (ण) मतगणना के समय ड्यूटी। **श्री**	**सप्तम समूह– भारतीय संविधान–** निर्वाचन आयोग 327, 328 **श्री** .....
65	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण:** एम0एस0वर्ड– माइक्रोसाफ्ट वर्ड का परिचय। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**चतुर्थ समूह– विवेचना व्यवहारिक पक्ष–** घटनास्थल का निरीक्षण व आरक्षी का योगदान। **श्री**.....	**प्रथम समूह "द0प्र0सं0"–** हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकायें धारा 68 से 71 द0प्र0सं0 **श्री**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** स्वापक द्रव्य एवं मनप्रभावी पदार्थ अधि0 1985 धारा 36अ एवं 41 से 68 **श्री**	**तृतीय समूह–** चुनाव के समय पुलिस ड्यूटी एवं कान्स0 की भूमिका– (च) चुनाव परिणामों के बाद विजय जलुसों के समय शान्ति व्यवस्था ड्यूटी। **श्री**	**पंचम समूह: पुलिस रेग्यूलेशन–** गिरफ्तारी जमानत एवं अभिरक्षा पैरा 147 से 150 **श्री** .....
66	**षष्टम समूह: एक्प्लोसिव–** विस्फोटक पदार्थों के प्रकार एवं विस्फोटकों की पहचान। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**		**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरूद्व अपराध धारा 225, 225ए, 225बी, 228ए भा0द0वि0 **श्री**	**द्वितीय समूह 'केस लॉ'–** परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ (ए0आई0आर0 1989 मा0 सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 2039) एक दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति का जीवन विधिक औपचारिकताओं की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अतः चिकित्सक को घायल व्यक्ति का उपचार बिना इस बात की प्रतिक्षा किए किया जाना चाहिए कि प्रथम सूचना रिर्पोट (एफ0आई0आर0) पंजीकृत हुई अथवा नहीं। **श्री**	**पंचम समूह: पुलिस रेग्यूलेशन–** गिरफ्तारी जमानत एवं अभिरक्षा पैरा 147 से 150 **श्री**	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण:** एम0एस0वर्ड– माइक्रोसाफ्ट वर्ड में नये डाक्यूमेंट को बनाना व सेव करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**
67	**षष्टम समूह: एक्प्लोसिव–** विस्फोटक पदार्थों/सामग्री से सावधानियॉ एवं बचाव के तरीके। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेषज्ञ)**		**चतुर्थ समूह– विवेचना व्यवहारिक पक्ष–** घटनास्थल का निरीक्षण व आरक्षी का योगदान। **श्री**.....	**प्रथम समूह "द0प्र0सं0"–** हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकायें धारा 72 से 75 द0प्र0सं0 **श्री**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधि0 2000 यथा संशोधित 2006 **श्री**	**तृतीय समूह–** यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन– यातायात के सामान्य सिद्वान्त, विधि एवं मोटर गाड़ी नियम 1988 नियम 27, 42 **श्री** .....

68	**<u>षष्टम समूहः एक्सप्लोसिव</u>**— घटनास्थल को सुरक्षित रखना। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**	**<u>प्रथम समूह ''भा0द0वि0''</u>**— सिक्कों एवं सरकारी स्टाम्पों से सम्बन्धित अपराध धारा 255, 259 भा0द0वि0 **श्री ....**	**<u>द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''</u>**— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधि0 2000 यथा संशोधित 2006 **श्री ....**	**<u>तृतीय समूह</u>**— <u>यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन</u>— यातायात के सामान्य सिद्वान्त, विधि एवं मोटर गाड़ी नियम 1988 नियम 78, 79 **श्री ....**	**<u>पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन</u>**— सम्पत्ति की अभिरक्षा और निस्तारण पैरा 165 **श्री ....**	**<u>सप्तम समूह— भारतीय संविधान</u>**— निर्वाचन आयोग 329, 330 **श्री ....**
69	**<u>षष्टम समूहः एक्सप्लोसिव</u>**— घटनास्थल पर अवशेषों को सुरक्षित रखना, उठाना, पैक करना तथा साक्ष्य में इनकी उपयोगिता। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**		**<u>प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''</u>**— हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकायें धारा 76 से 78 द0प्र0सं0 **श्री ....**	**<u>द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''</u>**— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधि0 2000 यथा संशोधित 2006 **श्री ....**	**<u>तृतीय समूह</u>**— <u>यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन</u>— यातायात के सामान्य सिद्वान्त, विधि एवं मोटर गाड़ी नियम 1988 नियम 84 से 86 **श्री ....**	**<u>अष्टम समूह— कंप्यूटर प्रशिक्षणः</u>** एम0एस0वर्ड— माइक्रोसाफ्ट वर्ड डाक्यूमेंट में हिन्दी टंकण करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**
70	**<u>चतुर्थ समूह</u>**— **<u>विवेचना व्यवहारिक पक्ष</u>**— साक्षियों से पूछताछ व उन्हें चिन्हित करना। **श्री................**		**<u>प्रथम समूह ''भा0द0वि0''</u>**— लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध धारा 272 से 276 भा0द0वि0 **श्री ....**	**<u>द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''</u>**— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधि0 2000 यथा संशोधित 2006 **श्री ....**	**<u>तृतीय समूह</u>**— <u>यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन</u>— यातायात के सामान्य सिद्वान्त, विधि एवं मोटर गाड़ी नियम 1988 नियम 88, 102, 116 **श्री ....**	**<u>पंचम समूहः</u>**— रैंक एवं बैज **श्री ....**
71	**<u>षष्टम समूहः एक्सप्लोसिव</u>**— बम डिस्पोजल स्कवाड़ एवं उनके उपकरण। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**		**<u>प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''</u>**— हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकायें धारा 79 से 81 द0प्र0सं0 **श्री ....**	**<u>द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''</u>**— आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1932 एवं 1961 **श्री ....**	**<u>तृतीय समूह</u>**— <u>यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन</u>— यातायात के सामान्य सिद्वान्त, विधि एवं मोटर गाड़ी नियम 1988 नियम 136, 141, 164 **श्री ....**	**<u>पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन</u>**— विशेष अपराध **श्री ....**
72	**<u>षष्टम समूहः एक्सप्लोसिव</u>**— बम डिस्पोजल स्कवाड़ एवं उनके उपकरण। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**	**<u>चतुर्थ समूह</u>**— **<u>विवेचना व्यवहारिक पक्ष</u>**— मुखबिरों से अभिप्राय तथा उनसे प्राप्त सूचना पर की जाने वाली जॉच एवं सावधानियॉ तथा उपयोग। **श्री................**	**<u>प्रथम समूह ''भा0द0वि0''</u>**— लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध धारा 277 से 281 भा0द0वि0 **श्री ....**	**<u>द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''</u>**— आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1932 एवं 1961 **श्री ....**	**<u>तृतीय समूह</u>**— <u>यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन</u>— यातायात चिन्ह एवं सिग्नलों का ज्ञान। **श्री ....**	**<u>पंचम समूहः</u>**— वर्दी पहनने के नियम (ड्रेस रेग्यूलेशन) **श्री ....**

73	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण:** एम0एस0वर्ड– माइक्रोसाफ्ट वर्ड डाक्यूमेंट में हिन्दी टंकण करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**प्रथम समूह ''भा.सा.अधि.''–** तथ्य जिनका सिद्व किया जाना आवश्यक नहीं धारा 56 से 58 भा0साक्ष्य अधि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1932 एवं 1961 **श्री .....**	**तृतीय समूह–** यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन– यातायात चिन्ह एवं सिग्नलों का ज्ञान। **श्री .....**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन–** गश्त व नाकाबन्दी पैरा 190 से 195 **श्री .....**	**सप्तम समूह– भारतीय संविधान–** निर्वाचन आयोग 332, 340 **श्री .....**
74	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण:** एम0एस0वर्ड– माइक्रोसाफ्ट वर्ड डाक्यूमेंट में हिन्दी टंकण करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**चतुर्थ समूह– विवेचना व्यवहारिक पक्ष–** मुखबिरों से अभिप्राय तथा उनसे प्राप्त सूचना पर की जाने वाली जॉच एवं सावधानियॉ तथा उपयोग। **श्री.....**	**प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–** लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध धारा 282 से 286 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1932 एवं 1961 **श्री .....**	**तृतीय समूह–** यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन– ट्रैफिक इन्जीनियरिंग– कासिंग, दीप एवं सिग्नल्स **श्री .....**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन–** गश्त व नाकाबन्दी पैरा 190 से 195 **श्री .....**
75	**षष्टम समूह: टॉक्सीलॉजी–** बिसरा प्रजर्वेशन **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी श्री .....अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**		**प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''–** हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकायें धारा 82 से 85 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**प्रथम समूह ''भा.सा.अधि–** मौखिक साक्ष्य के विषय में धारा 59 एवं 60 भा0साक्ष्य अधि0 **श्री .....**	**तृतीय समूह–** यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन– ट्रैफिक इन्जीनियरिंग– कासिंग, दीप एवं सिग्नल्स **श्री .....**	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण:** एम0एस0वर्ड– कंप्यूटर में मौजूद वर्ड की फाइल को खोलना तथा फारमेटिंग टूलबार के माध्यम से उसमें एडेटिंग करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**
76	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण:** एम0एस0वर्ड– कंप्यूटर में मौजूद वर्ड की फाइल को खोलना तथा फारमेटिंग टूलबार के माध्यम से उसमें एडेटिंग करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**सप्तम समूह– भारतीय संविधान–** आपात उपबंध अनुचछेद 352, 353 **श्री .....**	**प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–** लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध धारा 287, 288, 294, 294ए भा0द0वि0 **श्री .....**	**प्रथम समूह ''भा.सा.अधि–** दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में धारा 61 से 63 भा0साक्ष्य अधि0 **श्री .....**	**तृतीय समूह–** यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन– विभिन्न स्थतियों जैसे– सामान्य यातायात, भारी यातायात, एकमार्गीय यातायात एवं विशिष्ट व्यक्ति के आगमन के समय यातायात व्यवस्था की योजना। **श्री .....**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन–** विशेष गार्द और अतिरिक्त पुलिस। **श्री .....**

77	**चतुर्थ समूह– विवेचना व्यवहारिक पक्ष–** संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ, पूछताछ में बल प्रयोग से होने वाली हानि तथा पूछताछ का उचित एवं वैज्ञानिक तरीका। **श्री**.....	**प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''–** हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकायें धारा 87 से 90 द0प्र0सं0 **श्री**	**प्रथम समूह ''भा.सा.अधि–** दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में धारा 64, 65 भा0साक्ष्य अधि0 **श्री**	**तृतीय समूह–** यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन– विभिन्न स्थतियों जैसे– सामान्य यातायात, भारी यातायात, एकमार्गीय यातायात एवं विशिष्ट व्यक्ति के आगमन के समय यातायात व्यवस्था की योजना। **श्री**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन–** विशेष गार्द और अतिरिक्त पुलिस। **श्री** .....
78	**षष्टम समूहः टॉक्सीलॉजी–** विषों का वर्गीकरण। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विशय विशेशज्ञ)**	**प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–** धर्म से सम्बन्धित अपराध धारा 295, 295ए भा0द0वि0 **श्री**	**प्रथम समूह ''भा.सा.अधि–** दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में धारा 65क, 65ख भा0साक्ष्य अधि0 **श्री**	**तृतीय समूह–** यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन– राजमार्गों पर यातायात के नियम एवं आचरण। **श्री**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन–** फरार अपराधी पैरा 215 से 222 **श्री** .....
79	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** प्रथम सूचना रिर्पोट, ध्यान देने योग्य तथ्य। **श्री**.....	**सप्तम समूह– भारतीय संविधान–** आपात उपबंध अनुचछेद 355, 356 **श्री**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 2, 9 से 15 **श्री**	**तृतीय समूह–** यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन– ट्रैफिक जाम के समय यातायात व्यस्था। **श्री**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन–** फरार अपराधी पैरा 215 से 222 **श्री** .....
80	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** प्रथम सूचना रिर्पोट, ध्यान देने योग्य तथ्य (154, 155 द0प्र0सं0) **श्री**.....	**प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–** धर्म से सम्बन्धित अपराध धारा 296, 298 भा0द0वि0 **श्री**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 16, 17, 27, 32, 36, 37, 39, 40, 41 **श्री**	**तृतीय समूह–** यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन– यातायात सुरक्षा सबंधी ज्ञान। **श्री**	**सप्तम समूह– भारतीय संविधान–** आपात उपबंध अनुचछेद 358, 359 **श्री** .....
81	**षष्टम समूहः टॉक्सीलॉजी–** अपराधों में प्रयोग किये जाने वाले विष (मृत एवं जीवित व्यक्तियों के सबंध में) प्रकार एवं उनकी पहचान– मुख्यतः आर्सेनिक, सल्फास, धतूरा, कीटनाशक इत्यादि एवं उनका मेडिकोलीगल दृष्टि से ज्ञान। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विषय विशेषज्ञ)**	**प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''–** वस्तुयें प्रदान करने हेतु आदेशिकायें धारा 91 से 93 द0प्र0सं0 **श्री**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 42 से 49 **श्री**	**तृतीय समूह–** यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन– हाइवे पेट्रोलिंग तथा ट्रैफिक बीट्स एवं व्यवस्थापन। **श्री**	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षणः** एम0एस0वर्ड– फाइल में किसी शब्द को खोजना तथा उसको परिवर्तित करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**

82	**षष्टम समूहः टॉक्सीलॉजी–** जहर खुरानी के अपराधों में सामान्यता प्रयोग में लाई जाने वाली दवाईयॉ यथा डायजीपॉम इत्यादि। **अतिथि व्याख्यान (फील्ड़ यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी अथवा विधि विज्ञान संस्थान के विषय विशेषज्ञ)**	**प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–** मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के सम्बन्ध में धारा 299, 300, 301 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 50 से 57 **श्री .....**	**तृतीय समूह–** यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन– वाहनों में लाल एवं नीली फ्लैश/बत्ती तथा हूटर व साइरन के प्रयोग करने सम्बन्धी नियमों का ज्ञान एवं प्रयोग करने हेतु अधिकृत गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों की जानकारी। **श्री .....**	
83	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** झूठी प्रथम सूचना रिर्पोट (182 द0प्र0सं0) **श्री.....**	**प्रथम समूह ''भा.सा.अधि–** सबूत के भार के विषय में धारा 101, 102 भा0साक्ष्य अधि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह 'केस लॉ'–** उकाराम बनाम राजस्थान राज्य एसीसी 2001 पृष्ठ 972 (उच्चतम न्यायालय) मृत्युकालीन कथन मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विधि व्यवस्था में मृत्युकालीन कथन की ग्राह्यता एवं कथन अंकित करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला गया है। **श्री .....**	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षणः** एम0एस0वर्ड– कंप्यूटर में मौजूद वर्ड की फाइल को खोलना तथा फारमेटिंग टूलबार के माध्यम से उसमें एडेटिंग करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन–** बुरे चरित्र वालों का पंजीकरण और निगरानी 223 से 276 **श्री .....**
84	**षष्टम समूहः मानव स्वास्थ एवं चिकित्सा–** एच0आई0वी0 (एड्स) का ज्ञान एवं बचाव के उपाय। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**	**प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–** मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के सम्बन्ध में धारा 302, 304 भा0द0वि0 **श्री .....**	**प्रथम समूह ''भा.सा.अधि–** सबूत के भार के विषय में धारा 103, 104 भा0साक्ष्य अधि0 **श्री .....**	**तृतीय समूह–** यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन– यातायात कार्यों में जनता एवं विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों में तालमेल। **श्री .....**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन–** बुरे चरित्र वालों का पंजीकरण और निगरानी 223 से 276 **श्री .....**
85	**सप्तम समूह– भारतीय संविधान–** राष्ट्रपति/राज्यपाल/राज्य प्रमुखों का संरक्षण अनुच्छेद 361, 361क **श्री .....**	**प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''–** वस्तुयें प्रदान करने हेतु आदेशिकायें धारा 94, 97, 98 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**प्रथम समूह ''भा.सा.अधि–** सबूत के भार के विषय में धारा 105, 106 भा0साक्ष्य अधि0 **श्री .....**	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षणः** एम0एस0वर्ड– फाइल में शब्द को खोजना तथा उसको परिवर्तित करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**तृतीय समूह–** यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन– वाहनों का पंजीकरण एवं नियंत्रण। **अतिथि व्याख्यान (आर0टी0ओ0 अथवा ए0आर0टी0ओ0 द्वारा)**
86	**षष्टम समूहः मानव स्वास्थ एवं चिकित्सा–** विभिन्न संक्रामक रोग यथा– मलेरिया, डेंगू, तपेदिक से बचाव के उपाय तथा उपयोगी चिकित्सा। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**	**प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–** मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के सम्बन्ध में धारा 304ए, 304बी भा0द0वि0 **श्री .....**	**प्रथम समूह ''भा.सा.अधि–** सबूत के भार के विषय में धारा 113क, 113ख भा0साक्ष्य अधि0 **श्री .....**	**तृतीय समूह–** यातायात नियंत्रण एवं प्रबन्धन– वाहनों का बीमा एवं दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का मुआवजा। **अतिथि व्याख्यान (आर0टी0ओ0 अथवा ए0आर0टी0ओ0 द्वारा)**	

87	**षष्टम समूहः मानव स्वास्थ एवं चिकित्सा–** विभिन्न संक्रामक रोग यथा– हैजा, डायरिया इत्यादि से बचाव के उपाय तथा उपयोगी चिकित्सा। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**	**सप्तम समूह– भारतीय संविधान–** राष्ट्रपति/राज्यपाल/राज्य प्रमुखों का संरक्षण अनुच्छेद 361, 361क **श्री .....**	**प्रथम समूह "भा.सा.अधि–** सबूत के भार के विषय में धारा 114, 114क भा0साक्ष्य अधि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 धारा 11 से 13 **श्री .....**	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** विवेचक के अधिकार, अभियुक्त के अधिकार **श्री.....**	
88	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षणः** एम0एस0वर्ड– स्पैलिंग व ग्रामर की गलतियों को सुधारना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**सप्तम समूह– भारतीय संविधान–** जनहित याचिका (उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय) **श्री .....**	**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के सम्बन्ध में धारा 305, 306, 307 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 धारा 31 से 34 एवं 36 **श्री .....**	**तृतीय समूह–** पुलिस के समक्ष चुनौतियॉ– आतंकवाद– कश्मीर एवं अन्य राज्यों पर उसका प्रभाव **श्री.....**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन–** बुरे चरित्र वालों का पंजीकरण और निगरानी 223 से 276 **श्री .....**
89	**षष्टम समूहः मानव स्वास्थ एवं चिकित्सा–** मादक पदार्थ/द्रव्य यथा– तम्बाकू, गुटखा, धुम्रपान, शराब इत्यादि के सेवन से मानव शरीर को होने वाली हानियॉ एवं इससे बचाव। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**		**प्रथम समूह "द0प्र0सं0"–** वस्तुयें प्रदान करने हेतु आदेशिकायें धारा 99, 100, 101 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 धारा 31 से 34 एवं 36 **श्री .....**	**तृतीय समूह–** पुलिस के समक्ष चुनौतियॉ– आतंकवाद– कश्मीर एवं अन्य राज्यों पर उसका प्रभाव **श्री.....**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन–** बुरे चरित्र वालों का पंजीकरण और निगरानी 223 से 276 **श्री .....**
90	**षष्टम समूहः मानव स्वास्थ एवं चिकित्सा–** विभिन्न प्रकार के ड्रग यथा– स्मैक, हेरोइन, नशीली दवाईयॉ/इन्जेक्शन इत्यादि के सेवन/प्रयोग के दुष्परिणाम एवं इससे बचाव के उपाय। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**		**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के सम्बन्ध में धारा 308, 309 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह 'केस लॉ'–** खड़क सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार (ए0आई0आर0 1963 मा0 सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 1925) बिना किसी विधिक प्राधिकार के पुलिस कर्मियों द्वारा मात्र पर्यवेक्षण के नाम पर किसी व्यक्ति को घर में रात्रि के समय नियमित रूप से जाना और वहॉ जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना स्पष्टतया उस व्यक्ति के जीवन में दैहिक स्वतंत्रता में एक अनुचित हस्तक्षेप है। **श्री .....**	**तृतीय समूह–** पुलिस के समक्ष चुनौतियॉ– भारत में आई0एस0आई0 गतिविधियॉ **अतिथि व्याख्यान (आई0बी0 के अधिकारी द्वारा अथवा स्थानीय अभिसूचना इकाई के विशेषज्ञ अधिकारी द्वारा)**	

91	**सप्तम समूह– आरक्षण नीति–** एतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं संवैधानिक उपबंध। **श्री .....**	**प्रथम समूह "भा.सा.अधि–** साक्ष्यों के विषय में धारा 118 भा0साक्ष्य अधि0 **श्री .....**	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण:** एम0एस0वर्ड– डाक्यूमेंट में फारमेटिंग करना: फॉन्ट का ज्ञान/बदलना, फान्ट साइज बदलना, एलाईमेंट सेट करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**तृतीय समूह–** पुलिस के समक्ष चुनौतियॉ– नक्सलवाद, पीपुल्स वार ग्रुप, पूर्वोत्तर राज्यों में अलगावादी संगठन के क्रिया कलाप एवं निवारण के उपाय। **श्री .....**	
92	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** अपराध स्वीकार करने वाले अपराधियों के बयान। **श्री.....**	**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** मानव शरीर पर गंभीर चोट के विषय में धारा 319, 320 भा0द0वि0 **श्री .....**	**प्रथम समूह "भा.सा.अधि–** साक्ष्यों के विषय में धारा 119 भा0साक्ष्य अधि0 **श्री .....**	**सप्तम समूह– भारतीय संविधान–** जनहित याचिका (उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय) **श्री .....**	**पंचम समूह: पुलिस रेग्यूलेशन–** बुरे चरित्र वालों का पंजीकरण और निगरानी 223 से 276 **श्री .....**
93	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** स्वीकृति व संस्वीकृति का अन्तर तथा संस्वीकृति के प्रकार। **श्री.....**	**प्रथम समूह "द0प्र0सं0"–** वस्तुयें प्रदान करने हेतु आदेशिकायें धारा 102, 103, 104 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**प्रथम समूह "भा.सा.अधि–** साक्ष्यों के विषय में धारा 125, 133 भा0साक्ष्य अधि0 **श्री .....**	**सप्तम समूह– आरक्षण नीति–** आरक्षण– वर्तमान व्यवस्था (केन्द्र व राज्य सरकार) नवीनतम शासनादेशों एवं माननीय उच्चतम न्यायालयों के निर्णय के संदर्भ में। **श्री .....**	
94	**सप्तम समूह– मानवाधिकार एवं उससे सबंधित समस्यायें:** पुलिस द्वारा लागू किये जाने वाले विभिन्न कानूनों में मानवाधिकार के प्राविधान। **श्री .....**	**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** मानव शरीर पर गंभीर चोट के विषय में धारा 321, 322, 323 भा0द0वि0 **श्री .....**	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण:** एम0एस0वर्ड– डाक्यूमेंट में फारमेटिंग करना: फॉन्ट का ज्ञान/बदलना, फान्ट साइज बदलना, एलाईमेंट सेट करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**तृतीय समूह–** पुलिस के समक्ष चुनौतियॉ– भारत का पड़ोसी देशों से सम्बन्ध– चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। **श्री .....**	
95	**सप्तम समूह– मानवाधिकार एवं उससे सबंधित समस्यायें:** समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचार व उनके संरक्षण में पुलिस की भूमिका। **श्री .....**	**प्रथम समूह "भा.सा.अधि–** साक्षियों के परीक्षण के विषय में धारा 137 भा0साक्ष्य अधि0 **श्री .....**	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण:** एम0एस0वर्ड– टक्स्ट को कलर करना, फारमेट बटल के प्रयोग से फारेंटिंग को कापी/पेस्ट करना, अन्डू, री–डू का प्रयोग, बोल्ड इटालिक, अन्डर लाइन करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**तृतीय समूह–** अर्धसैनिक बलों का कानून व्यवस्था में योगदान एवं उनके साथ पारस्परिक समन्वय। **श्री .....**	**पंचम समूह: पुलिस रेग्यूलेशन–** अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज **श्री .....**

96	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** विवेचना में वैज्ञानिक सहायता प्राप्त करना। **श्री.....**	**प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–** मानव शरीर पर गंभीर चोट के विषय में धारा 324, 325 भा0द0वि0 **श्री .....**	**प्रथम समूह ''भा.सा.अधि–** साक्षियों के परीक्षण के विषय में धारा 159 भा0साक्ष्य अधि0 **श्री .....**	**सप्तम समूह– मानवाधिकार एवं उससे सबंधित समस्यायें:** शिकायतकर्ताओं, अपराध के भुक्तभोगियों, संदिग्धों के साथ व्यवहार के सबंध में विभागीय निर्देश और न्यायायिक मार्गदर्शक बिन्दु। **श्री .....**
97	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** विवेचना में वैज्ञानिक सहायता प्राप्त करना। **श्री.....**	**प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''–** परिशांति स्थापित करने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति धारा 106, 107, 108, 109 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 धारा 1, 3, 4 **श्री .....**	**सप्तम समूह– मानवाधिकार एवं उससे सबंधित समस्यायें:** गिरफ्तार व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ व्यवहार के सबंध में विभागीय निर्देश और न्यायायिक मार्गदर्शक बिन्दु। **श्री .....**
98	**सप्तम समूह– मानवाधिकार एवं उससे सबंधित समस्यायें:** विधि विरूद्व जमाव व भीड़ की ड्यूटी में मानवाधिकारों का सबंध। **श्री .....**	**प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–** मानव शरीर पर गंभीर चोट के विषय में धारा 326, 327, 328 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 धारा 5 से 8 **श्री .....**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन–** अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज, पुलिस थानों मे रखे गये अभिलेखं **श्री .....**
99	**षष्टम समूह:** मृत्यु के कारण– हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना से हुई मृत्यु। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**	**तृतीय समूह–** जनपदीय कार्यों में पी0ए0सी0 का उपयोग व उनके साथ समन्वय। **अतिथि व्याख्यान (पी0ए0सी0 के वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी द्वारा)**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 धारा 9 से 11 **श्री .....**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन–** पुलिस थानों मे रखे गये अभिलेखं **श्री .....**
100	**षष्टम समूह:** मृत्यु के कारण– स्वाभाविक (प्राकृतिक) मृत्यु। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**	**प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–** मानव शरीर पर गंभीर चोट के विषय में धारा 332, 333 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 धारा 12, 13, 15, 16 **श्री .....**	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण:** एम0एस0वर्ड– टक्स्ट को कलर करना, फारमेट बटल के प्रयोग से फारेंटिंग को कापी/पेस्ट करना, अन्डू, री–डू का प्रयोग, बोल्ड इटालिक, अन्डर लाइन करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**सप्तम समूह– मानवाधिकार एवं उससे सबंधित समस्यायें:** हथकडियों के उपयोग के सबंध में विभागीय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शन। **श्री .....**
101	**सप्तम समूह– मानवाधिकार एवं उससे सबंधित समस्यायें:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्य एवं शक्तियॉ। **श्री .....**	**प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''–** परिशांति स्थापित करने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति धारा 110, 111, 112, 113 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 **श्री .....**	**तृतीय समूह– उ0प्र0 में हुई प्रमुख आतंकवादी घटनाओं का अध्ययन–** संकटमोचन मन्दिर वाराणसी, राम जन्मभूमि अयोध्या। **श्री .....**

102	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** गिरफ्तारी के प्राविधान एवं प्रकिया। **श्री.....**	**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** मानव शरीर पर गंभीर चोट के विषय में धारा 336 से 338 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 **श्री .....**	**तृतीय समूह– उ0प्र0 में हुई प्रमुख आतंकवादी घटनाओं का अध्ययन–** कचहरी ब्लास्ट लखनऊ, फैजाबाद एवं वाराणसी। **श्री .....**	
103	**षष्टम समूहः** मृत्यु के प्रकार एवं लक्षण– दम घुटने से मृत्यु, डूबकर मृत्यु, गलाघोटंकर मृत्यु। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**	**प्रथम समूह "द0प्र0सं0"–** परिशांति स्थापित करने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति धारा 114, 115, 116 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 **श्री .....**	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षणः** एम0एस0वर्ड– डाक्यूमेंट में पेज ब्रेक्स, हेडर इन्सर्ट करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन–** जन्म मरण की रिर्पोट पैरा 322, 325 से 327 **श्री .....**
104	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** पुलिस अभिरक्षा **श्री.....**	**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** मानव शरीर सबंधी सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में धारा 339 से 342 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम 1911 धारा 3, 5, 6, 8 **श्री .....**	**तृतीय समूह– उ0प्र0 में हुई प्रमुख आतंकवादी घटनाओं का अध्ययन–** सी0आर0पी0 ग्रुप सेन्टर रामपुर पर हमला। **श्री .....**	
105	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो जाने पर की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही। **श्री.....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 धारा 1 से 5 **श्री .....**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन–** अकाल के समय पुलिस अधिकारियों को मार्गदर्शन के निर्देश। **श्री .....**	**सप्तम समूह– मानवाधिकार एवं उससे सबंधित समस्यायें:** राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग– कार्य एवं शक्तियॉ। **श्री .....**	
106	**षष्टम समूहः –** मृत्यु के प्रकार एवं लक्षण– श्वांसारोध (थ्राटलिंग), फॉसी लगाकर मृत्यु (हैंगिग) **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**	**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** मानव शरीर सबंधी सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में धारा 339 से 342 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 धारा 6 से 10 **श्री .....**	**तृतीय समूह–** आतंकवादी घटनाओं को रोकने में पुलिस की भूमिका एवं उत्तरदायित्व **श्री .....**	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षणः** एम0एस0वर्ड– डाक्यूमेंट में पेज नंबर, फोटो इन्सर्ट करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**
107	**सप्तम समूह– जेण्डर सेंसाटाइजेशनः** विभिन्न अपराधों एवं अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं से साक्षात्कार की विधियॉ। **श्री .....**	**प्रथम समूह "द0प्र0सं0"–** परिशांति स्थापित करने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति धारा 117, 118, 122 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 धारा 11 से 15 **श्री .....**	**तृतीय समूह– सुरक्षा कर्तव्य/ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कान्स0 की भूमिका–** व्यक्तियों एवं संस्थानों की सुरक्षा का महत्व एवं आवश्यकता **श्री .....**	

108	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** अभियुक्त का रिमाण्ड प्राप्त करना विधि व प्रक्रिया। **श्री.....**		**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** मानव शरीर पर अपराधिक बल और हमले के सबंध मं धारा 349 से 351 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 धारा 16 से 18, 20, 21 **श्री .....**	**तृतीय समूह– सुरक्षा कर्तव्य/ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कान्स0 की भूमिका–** सुरक्षा एवं गार्द ड्यूटी। **श्री .....**	**पंचम समूहः पुलिस रेग्यूलेशन–** विशेष विधियॉ और नियमों के अधीन कर्तव्य। **श्री .....**
109	**प्रथम समूह"भा0द0वि0"–** मानव शरीर पर अपराधिक बल और हमले के सबंध मं धारा 353, 354 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम 1984 धारा 2 से 6 **श्री .....**	**तृतीय समूह– सुरक्षा कर्तव्य/ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कान्स0 की भूमिका–** सुरक्षा एवं गार्द ड्यूटी। **श्री .....**	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षणः** एम0एस0वर्ड– डाक्यूमेंट में सिम्बल, क्लिप आर्ट आदि इन्सर्ट करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**पंचम समूहः पी0ए0सी0 का संगठन–** मुख्यालय, जोन, अनुभाग, वाहिनी, कम्पनी, प्लाटून, सेक्शन। **श्री .....**	
110	**षष्टम समूहः** मृत्यु का समय निर्धारण करना। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**		**प्रथम समूह "द0प्र0सं0"–** लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना धारा 129 से 132 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम 1984 धारा 2 से 6 **श्री .....**	**तृतीय समूह– सुरक्षा कर्तव्य/ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कान्स0 की भूमिका–** गार्द ड्यूटी के प्रकार– कट्टरपंथ एवं राजद्रोहात्मक गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र की परिप्रेक्ष्य में। **श्री .....**	
111	**सप्तम समूह– जेण्डर सेंसाटाइजेशनः** महिलाओं के विरूद्व अपराधों के अन्वेषण एवं अभियोजन में कमियॉ एवं सुधार। **श्री .....**		**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** व्यपहरण, अपहरण और बलात्संग के विषय में धारा 359 से 363 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** प्रोहिबिशन आफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 धारा 2, 9, 10 **श्री .....**	**तृतीय समूह– सुरक्षा कर्तव्य/ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कान्स0 की भूमिका–** धमकी से प्रभावित व्यक्ति की सुरक्षा। **श्री .....**	**पंचम समूहः–** पदक एवं अलंकरण। **श्री .....**
112	**षष्टम समूहः** मृत व्यक्तियों की पहचान **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**		**सप्तम समूह– जेण्डर सेंसाटाइजेशनः** पुलिस विभाग में महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति (कार्यक्षेत्र में लैंगिक समानता) **श्री .....**		**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** प्रोहिबिशन आफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 धारा 11 से 13 **श्री .....**	**तृतीय समूह– सुरक्षा कर्तव्य/ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कान्स0 की भूमिका–** एस्कार्ट एवं कानवॉय सुरक्षा। **श्री .....**
113	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** दूसरे थानों से तालमेल रखना व उसकी उपयोगिता। **श्री.....**		**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** प्रोहिबिशन आफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 धारा 15, 16, 20, 21 **श्री .....**	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षणः** एम0एस0वर्ड– डाक्यूमेंट में टेबिल बनाना तथा उसमें कार्य करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**तृतीय समूह– सुरक्षा कर्तव्य/ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कान्स0 की भूमिका–** एस्कार्ट एवं कानवॉय सुरक्षा। **श्री .....**	**पंचम समूहः विशेष इकाईयॉ–** अपराध अनुसंधान विभाग, आर्थिक अपराध शाखा। **श्री .....**

114	**सप्तम समूह– जेण्डर सेंसाटाइजेशनः** महिलाओं के विरूद्व अपराध एवं अत्याचार सबंधी विधिक प्राविधान एवं न्यायालयों के निर्णय। **श्री .....**		**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** व्यपहरण, अपहरण और बलात्संग के विषय में धारा 364, 365 से 366ए, बी, 375 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 धारा 3, 4, 5 **श्री .....**	**तृतीय समूह– सुरक्षा कर्तव्य/ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कान्स0 की भूमिका–** सुरक्षा ड्यूटी व्यवस्थापन एवं योजना। **श्री .....**	**पंचम समूहः–** सेवा अभिलेख– चरित्र पंजिका। **लिपिकीय सेवा संवर्ग के अधिकारी द्वारा**
115	**षष्टम समूहः** शव परीक्षा (पोस्टमार्टम) **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**		**प्रथम समूह "द0प्र0सं0"–** लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना धारा 133 से 145 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 धारा 6, 8 **श्री .....**	**तृतीय समूह– सुरक्षा कर्तव्य/ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कान्स0 की भूमिका–** महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डो, वायुयानों की सुरक्षा। **श्री .....**	**पंचम समूहः विशेष इकाईयॉ–** भ्रष्टाचार निवारण संगठन, विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता/कृषि। **श्री .....**
116	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** मृत्युकालिक घोषणा। **श्री.....**		**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** व्यपहरण, अपहरण और बलात्संग के विषय में धारा 376, 376ए से 376डी भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1994 **श्री .....**	**तृतीय समूह– सुरक्षा कर्तव्य/ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कान्स0 की भूमिका–** रेलवे, औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा। **श्री .....**	**पंचम समूहः विशेष इकाईयॉ–** राज्य विद्युत परिषद के अर्न्तगत पुलिस संगठन, विशेष जॉच। **श्री .....**
117	**सप्तम समूह– पुलिस का आचरणः** पुलिस आचरण के सिद्वान्त। **श्री .....**		**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1994 **श्री .....**	**तृतीय समूह– सुरक्षा कर्तव्य/ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कान्स0 की भूमिका–** सार्वजनिक महत्व के भवनों की सुरक्षा। **श्री .....**	**पंचम समूहः– आपराधिक अभिलेखः** थाने के अभिलेख– आवश्यकता एवं महत्व। **श्री .....**	
118	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षणः** एम0एस0वर्ड– डाक्यूमेंट में टेबिल बनाना तथा उसमें कार्य करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**सप्तम समूह– पुलिस का आचरणः** वर्तमान समय में पुलिस का आचरण व उसका पुलिस के कार्य एवं छवि पर प्रभाव। **श्री .....**	**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** व्यपहरण, अपहरण और बलात्संग के विषय में धारा 377 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1994 **श्री .....**	**तृतीय समूह– सुरक्षा कर्तव्य/ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कान्स0 की भूमिका–** सीमाओं की सुरक्षा। **श्री .....**	**पंचम समूहः विशेष इकाईयॉ–** अभिसूचना विभाग। **श्री .....**

119	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण:** एम0एस0वर्ड– डाक्यूमेंट का प्रिन्ट प्रिव्यू अथवा प्रिन्ट विकल्पों की जानकारी। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**सप्तम समूह– पुलिस का आचरण:** वर्तमान समय में पुलिस का आचरण व उसका पुलिस के कार्य एवं छवि पर प्रभाव। **श्री .....**	**प्रथम समूह "द0प्र0सं0"–** लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना धारा 133 से 145 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1994 **श्री .....**	**तृतीय समूह– सुरक्षा कर्तव्य/ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कान्स0 की भूमिका–** संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा। **श्री .....**	
120	**षष्टम समूह:** विभिन्न प्रकार के विकृत शव व अस्थि अवशेषों का परीक्षण एवं पुराने कंकालों की पहचान। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**		**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** सम्पत्ति के विरूद्व अपराधों के विषय में (चोरी विषयक) धारा 378 से 382 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 धारा 65 से 80 **श्री .....**	**पंचम समूहः– आपराधिक अभिलेखः** थाने के अभिलेखों का ज्ञान एवं रखे जाने की अवधि। **श्री .....**	
121	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** जमानत के सिद्वान्त। **श्री.....**		**सप्तम समूह– पुलिस का आचरण:** जनसंपर्क विकसित करने की विधियॉ– पब्लिक रिलेशन एवं पुलिस कम्युनिटी रिलेशन। **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 धारा 65 से 80 **श्री .....**	**तृतीय समूह– सुरक्षा कर्तव्य/ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कान्स0 की भूमिका–** सार्वजनिक/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर बम एवं विस्फोटकों से सावधानियॉ व सुरक्षा। **श्री .....**	
122	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण:** एम0एस0वर्ड– 15 दिवसीय अपराध रिर्पोट (एफ0सी0आर0 तैयार करन के माइक्रोसाफ्ट की जानकारी) **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**सप्तम समूह– पुलिस का आचरण:** जनसंपर्क विकसित करने की विधियॉ– कम्युनिटी पुलिसिंग। **श्री .....**	**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** सम्पत्ति के विरूद्व अपराधों के विषय में (चोरी विषयक) धारा 378 से 382 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 धारा 65 से 80 **श्री .....**	**तृतीय समूह– सुरक्षा कर्तव्य/ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कान्स0 की भूमिका–** आत्मघाती हमला/ फिदाइन अटैक। **श्री .....**	**पंचम समूहः– आपराधिक अभिलेखः** पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रखे जाने वाले अपराधिक अभिलेखों का ज्ञान, उपयोगिता। **श्री.....**
123	**सप्तम समूह– पुलिस का आचरण:** पुलिस बल में सहयोग की भावना को जागृत करना तथा उसे बनाये रखना। **श्री .....**		**प्रथम समूह "द0प्र0सं0"–** लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना धारा 133 से 145 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** कापी राइट एक्ट 1957 धारा 2, 3, 52क **श्री .....**	**तृतीय समूह– विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं आरक्षी के कर्तव्य–** विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर पुलिस व्यवस्था एवं किए जाने वाले प्रबन्ध की रूपरेखा। **श्री .....**	
124	**सप्तम समूह– पुलिस का आचरण:** पुलिस बल का अपने उच्चाधिकारियों/समान रैंक/अधिनस्थों के प्रति व्यवहार। **श्री .....**		**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** उद्यापन के विषय में धारा 383 एवं 384 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** कापी राइट एक्ट 1957 धारा 63, 63क, 64 **श्री .....**	**तृतीय समूह– विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं आरक्षी के कर्तव्य–** विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के नियम। **श्री .....**	**पंचम समूहः– आपराधिक अभिलेखः** विभिन्न पेशियों में रखे जाने वाले अपराधिक अभिलेख– उपयोगिता एवं महत्व। **श्री.....**

125	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** तलाशी व बरामदगी के दौरान बनाये जाने वाले अभिलेख व सावधानियॉ। **श्री**.....	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण:** एम0एस0वर्ड– 15 दिवसीय अपराध रिर्पोट (एफ0सी0आर0 तैयार करन के माइक्रोसाफ्ट की जानकारी) **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** कापी राइट एक्ट 1957 धारा 65, 65क, 68 **श्री**	**तृतीय समूह– विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं आरक्षी के कर्तव्य–** विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के नियम। **श्री**	**पंचम समूहः– आपराधिक अभिलेखः** अभियोजन कार्यालय के आपराधिक अभिलेख– उपयोगिता एवं रखे जाने की अवधि। **श्री**.....
126	**षष्टम समूहः** जमीन से दबे मृतकों को निकलवाना। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**	**प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–** लूट और डकैती के विषय में धारा 390 से 399 व 402 भा0द0वि0 **श्री**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** मोटर वाहन अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) धारा 2 से 5 **श्री**	**तृतीय समूह– विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं आरक्षी के कर्तव्य–** विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के मानक। **श्री**	**पंचम समूहः– आपराधिक अभिलेखः** अभियोजन कार्यालय के आपराधिक अभिलेख– उपयोगिता एवं रखे जाने की अवधि। **श्री**.....
127	**सप्तम समूह– पुलिस का आचरणः** पुलिस एथिक्स (नीतिशास्त्र, आचार नीति) **श्री**	**प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''–** लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना धारा 147 से 153 द0प्र0सं0 **श्री**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** मोटर वाहन अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) धारा 39, 66, 112, 128 **श्री**	**तृतीय समूह– विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं आरक्षी के कर्तव्य–** विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के मानक। **श्री**	**पंचम समूहः– आपराधिक अभिलेखः** जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो के अपराधिक अभिलेख। **श्री**.....
128	**अष्टम समूह– पुलिस रेडियो संचार प्रणाली–** एच0एफ0, इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिन्टर, आर0टी0वाई0 का ज्ञान। **अतिथि व्याख्यान (सहायक रेडियो अधिकारी द्वारा)**	**प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–** लूट और डकैती के विषय में धारा 390 से 399 व 402 भा0द0वि0 **श्री**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** मोटर वाहन अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) धारा 129, 132, 133, 177 **श्री**	**तृतीय समूह– विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं आरक्षी के कर्तव्य–** विशिष्ट व्यक्तियों के आने–जाने वाले मार्ग पर की जाने वाली व्यवस्था। **श्री**	**पंचम समूहः– आपराधिक अभिलेखः** राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के अपराधिक अभिलेख। **श्री**.....
129	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** तलाशी व बरामदगी के दौरान बनाये जाने वाले अभिलेख का प्रयोगात्मक ज्ञान। **श्री**.....	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** मोटर वाहन अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) धारा 179, 183, 184, 185 **श्री**	**तृतीय समूह– विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं आरक्षी के कर्तव्य–** विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रम स्थल व ठहरने के स्थान पर की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था। **श्री**	**सप्तम समूह– पुलिस का आचरणः** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा थानों में पारदर्शिता, गाइड लाइन्स एवं अभिरक्षा में अभियुक्तों के साथ व्यवहार के निर्देशों का ज्ञान। **श्री**	

130	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण:** इंटरनेट– इंटरनेट परिचय। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**		**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** सम्पत्ति के अपराधिक दुर्विनियोग के विषय में धारा 403 से 406 व 409 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** मोटर वाहन अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) धारा 192, 192ए, 194, 196, **श्री .....**	**तृतीय समूह– विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं आरक्षी के कर्तव्य–** विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रम स्थल व ठहरने के स्थान पर की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था। **श्री .....**	**पंचम समूहः विशेष इकाईयॉ–** पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, पुलिस रेडियो, तकनीकी सेवायें। **श्री .....**
131	**अष्टम समूह– पुलिस रेडियो संचार प्रणाली–** आधुनिक संचार की विधियॉ– सैटेलाइट कम्यूनिकेशन (पोलनेट), आप्टिकल फाइबर आदि का ज्ञान। **अतिथि व्याख्यान (सहायक रेडियो अधिकारी द्वारा)**		**प्रथम समूह "द0प्र0सं0"–** लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना धारा 147 से 153 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** मोटर वाहन अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) धारा 197, 202, 203, 204 **श्री .....**	**तृतीय समूह– विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं आरक्षी के कर्तव्य–** विशिष्ट व्यक्तियों हेतु पी0एस0ओ0 ड्यूटी एवं कर्तव्य– एक्स/वाई/जेड श्रेणी। **श्री .....**	**पंचम समूहः विशेष इकाईयॉ–** यातायात निदेशालय, अंगुलि चिन्ह संग्राहालय। **श्री .....**
132	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण:** इंटरनेट– प्रयुक्त होने वाले उपकरण। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** कार्यवाही शिनाख्त (व्यक्ति) **श्री.....**	**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** सम्पत्ति के अपराधिक दुर्विनियोग के विषय में धारा 403 से 406 व 409 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** मोटर वाहन अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) धारा 205 से 207 **श्री .....**	**पंचम समूहः– आपराधिक अभिलेखः** राष्ट्रीय स्तर पर अपराधिक अभिलेख का रखरखाव यथा– एन0सी0आर0बी0 एवं अपराध सबंधी अभिलेख रखने वाले अन्य कार्यालय एवं उनका उपयोग। **श्री.....**	
133	**अष्टम समूह– पुलिस रेडियो संचार प्रणाली–** रेडियो संदेश बनाना, लिखना। **अतिथि व्याख्यान (सहायक रेडियो अधिकारी द्वारा)**		**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** कार्यवाही शिनाख्त (माल) **श्री.....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधि0 1994 धारा 2, 11 **श्री .....**	**तृतीय समूह– उत्तर प्रदेश के प्रमुख साम्प्रदायिक दंगों का अध्ययन–** 1. दंगे के कारण, 2. पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही एवं विफलता के कारण, 3. मृत एवं घायलों की संख्या, 4. साम्प्रदायिक दंगों को रोकने की कार्यवाही। **श्री .....**	
134	**अष्टम समूह– पुलिस रेडियो संचार प्रणाली–** संदेशों का वर्गीकरण एवं इनकी प्राथमिकताएं। **अतिथि व्याख्यान (सहायक रेडियो अधिकारी द्वारा)**	**पंचम समूहः– आपराधिक अभिलेखः** थाना की अभिसूचना विषयक टलीफोन डायरेक्ट्री एवं उसका रख–रखाव। **श्री.....**	**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने के विषय में धारा 410 से 412, 414 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधि0 1994 धारा 12, 18, 19 **श्री .....**	**तृतीय समूह– उत्तर प्रदेश के प्रमुख साम्प्रदायिक दंगों का अध्ययन–** 5. थाना की दंगा नियंत्रण योजना का ज्ञान एवं कार्यवाही। 6. साम्प्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस ड्यूटी– कर्तव्य एवं सावधानियॉ। **श्री .....**	
135	**षष्टम समूह:** मेडिकोलीगल दृष्टि से यौन अपराधों (बलात्कार/अप्राकृतिक यौन क्रिया) इत्यादि का ज्ञान। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**		**प्रथम समूह "द0प्र0सं0"–** पुलिस की सूचना और उसकी अन्वेषण करने की शक्ति धारा 154, 155 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधि0 1994 धारा 20 से 22 **श्री .....**	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** अंतिम रिर्पोट तैयार करना। **श्री.....**	

136	**अष्टम समूह– पुलिस रेडियो संचार प्रणाली–** वायरलैस सेटों की हैण्डलिंग, पुलिस वायरलैस सेटों/सिस्टम में आने वाली सामान्य कमियां एवं उनका निराकरण। **अतिथि व्याख्यान (सहायक रेडियो अधिकारी द्वारा)**	**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने के विषय में धारा 410 से 412, 414 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** भ्रूण हत्या निवारण अधि0 1994 (यथा संशोधित 2003) महत्वपूर्ण धारायें **श्री .....**	**पंचम समूहः विशेष इकाईयॉ–** विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज्य अपराध सूचना केन्द्र **श्री .....**	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षणः** इंटरनेट– राज्य पुलिस की साइट को एक्सेस करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**
137	**सप्तम समूह– पुलिस का निम्न के साथ आचरण एवं व्यवहार'–** पुलिस का जनता, जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा व्यवहार– महत्व एवं आवश्यकता। **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** भ्रूण हत्या निवारण अधि0 1994 (यथा संशोधित 2003) महत्वपूर्ण धारायें **श्री .....**	**पंचम समूहः विशेष इकाईयॉ–** रेलवे पुलिस (जी0आर0पी0), अग्निशमन शाखा। **श्री .....**	**तृतीय समूह– आपदा प्रबन्धनः** आकस्मिक दुर्घटनाओं– भूकम्प, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, तूफान, अतिवृष्टि आदि के समय कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व। **श्री.....**	
138	**षष्टम समूहः** मेडिकोलीगल दृष्टि से पागलपन के बारे में ज्ञान। **अतिथि व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**	**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** छल के विषय में धारा 415 से 417 व 420 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "स्थानीय अधिनियम"–** उ0प्र0 वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 (यथा संशोधित) धारा 1, 4, 5 **श्री .....**	**तृतीय समूह– आपदा प्रबन्धनः** विस्फोट, अचानक भवन गिरना, औद्योगिक दुर्घटना, भगदड़ इत्यादि के दौरान कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व। **श्री.....**	
139	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षणः** इंटरनेट– एन0सी0आर0बी0/एस0सी0आर0बी0 की साइट को एक्सेस करना एवं चोरी अथवा बरामद वाहनों, अज्ञात शवों, खोये/पाये, गुमशुदाओं की ऑन लाइन जानकारी प्राप्त करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**प्रथम समूह "द0प्र0सं0"–** पुलिस की सूचना और उसकी अन्वेषण करने की शक्ति धारा 156 से 159 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "स्थानीय अधिनियम"–** उ0प्र0 वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 (यथा संशोधित) धारा 10, 11 **श्री .....**	**तृतीय समूह– आपदा प्रबन्धनः** सड़क, रेल एवं वायु दुर्घटनाओं के समय कार्ययोजना एवं पुलिस का उत्तरदायित्व। **श्री.....**	
140	**षष्टम समूहः सिरोलॉजी/बायोलॉजी–** मानव रक्त का वर्गीकरण, मानव तथा पशु रक्त में अतंर स्पष्ट करना (बैंजडीन एवं जैल टेस्ट तथा एब्जार्शन इल्यूशन तकनीक) **अतिथि व्याख्यान (विषय विशेषज्ञ अथवा फील्ड यूनिट के विषय विशेषज्ञ वैज्ञानिक अधिकारी)**	**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** छल के विषय में धारा 415 से 417 व 420 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह "स्थानीय अधिनियम"–** उ0प्र0 जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1986 (1951) धारा 198 **श्री .....**	**चतुर्थ समूह– विवेचना (व्यवहारिक पक्ष)–** आरोप–पत्र तैयार करना। **श्री.....**	
141	**सप्तम समूह– पुलिस का निम्न के साथ आचरण एवं व्यवहार'–** बीट के दौरान जनता के साथ व्यवहार। **श्री .....**	**द्वितीय समूह "स्थानीय अधिनियम"–** उ0प्र0 विद्युत तार ट्रान्सफारमर चोरियों का निवारण तथा दण्ड अधिनियम 1976 धारा 2 से 6 **श्री .....**	**पंचम समूहः विशेष इकाईयॉ–** सर्तकता अधिष्ठान, अभियोजन निदेशालय। **श्री .....**	**तृतीय समूह– आपदा प्रबन्धनः** अग्निशमन एवं बचाव कार्य। **(अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा व्याख्यान)**	

142	**<u>षष्टम समूहः सिरोलॉजी/बायोलॉजी–</u>** घटनास्थल पर रक्त बिखरने के ढंग के आधार पर अपराध की प्रकृति का निर्धारण करना। **अतिथि व्याख्यान (विषय विशेषज्ञ अथवा फील्ड यूनिट के विषय विशेषज्ञ वैज्ञानिक अधिकारी)**	**<u>प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–</u>** हानि के विषय में धारा 425, 426, 429, 435, 436 भा0द0वि0 **श्री**	**<u>द्वितीय समूह ''स्थानीय अधिनियम''–</u>** उ0प्र0 विद्युत तार ट्रान्सफारमर चोरियों का निवारण तथा दण्ड अधिनियम 1976 धारा 2 से 6 **श्री**	**<u>चतुर्थ समूह– अभियोजन–</u>** अभियोगों की पैरवी में आरक्षी का योगदान। **श्री**.....
143	**<u>चतुर्थ समूह– अभियोजन–</u>** अभियोगों की पैरवी में आरक्षी का योगदान। **श्री**.....	**<u>प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''–</u>** पुलिस की सूचना और उसकी अन्वेषण करने की शक्ति धारा 160 से 164 द0प्र0सं0 **श्री**	**<u>सप्तम समूह– पुलिस का निम्न के साथ आचरण एवं व्यवहार'–</u>** पुलिस का स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों के सबंध एवं तालमेल **श्री**	**<u>तृतीय समूह– आपदा प्रबन्धनः</u>** गम्भीर दुर्घटनाओं एवं आपदाओं के दौरान घटित होने वाले सामान्य अपराध तथा उसके नियंत्रण हेतु पुलिस कार्यवाही। **श्री**.....
144	**<u>अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षणः</u>** इंटरनेट– ऑन लाइन टेलीफोन डायरेक्ट्री को एक्सेस करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके** **<u>प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–</u>** हानि के विषय में धारा 441 से 444 भा0द0वि0 **श्री**	**<u>षष्टम समूहः सिरोलॉजी/बायोलॉजी–</u>** घटनास्थल से रक्त/खून आलूदा कपड़े/मिट्टी इत्यादि एकत्रित करना तथा सैंपल सुरक्षित रखना एवं परीक्षण हेतु भेजने के लिए पैक करना। **अतिथि व्याख्यान (विषय विशेषज्ञ अथवा फील्ड यूनिट के विषय विशेषज्ञ वैज्ञानिक अधिकारी)**	**<u>द्वितीय समूह ''स्थानीय अधिनियम''–</u>** उ0प्र0 इन्टरटेन्मेंट एण्ड बेटिंग एक्ट 1979 धारा 13, 26, 27, 32 **श्री**	**<u>पंचम समूहः विशेष इकाईयॉ–</u>** नागरिक सुरक्षा संगठन एवं होमगार्डस। **श्री** .....
145	**<u>चतुर्थ समूह– अभियोजन–</u>** रिमाण्ड व जमानत की प्रक्रिया में आरक्षी का योगदान। **श्री**.....	**<u>प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–</u>** हानि के विषय में धारा 445 से 448 भा0द0वि0 **श्री**	**<u>द्वितीय समूह ''स्थानीय अधिनियम''–</u>** उ0प्र0 ग्राम चौकीदार अधिनियम 1873 धारा 6 से 12 **श्री**	**<u>तृतीय समूह– आपदा प्रबन्धनः</u>** आपदा प्रबन्धन की राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय नीति एवं जिला स्तरीय योजनायें। **(जिलाधिकारी के अधीन स्थापित जिला आपदा नियंत्रण केन्द्र के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा व्याख्यान)**
146	**<u>षष्टम समूहः सिरोलॉजी/बायोलॉजी–</u>** बलात्कार के घटनास्थल/पीडित पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखना एवं एकत्रित करना तथा परीक्षण हेतु भेजना एवं इसके दौरान बरती जाने वाली सावधानियॉ। **अतिथि व्याख्यान (विषय विशेषज्ञ अथवा फील्ड यूनिट के विषय विशेषज्ञ वैज्ञानिक अधिकारी)**	**<u>प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''–</u>** पुलिस की सूचना और उसकी अन्वेषण करने की शक्ति धारा 165 से 169 द0प्र0सं0 **श्री**	**<u>द्वितीय समूह ''स्थानीय अधिनियम''–</u>** उ0प्र0 पी0ए0सी0 अधिनियम 1948 धारा 2 से 8 **श्री**	**<u>चतुर्थ समूह– अभियोजन–</u>** गवाहों की समस्यायें व उनका निराकरण। **श्री**.....
147	**<u>सप्तम समूह– पुलिस का निम्न के साथ आचरण एवं व्यवहार'–</u>** मजिस्ट्रेट, बुद्विजीवी वर्ग, वकील एवं जेल स्टाफ। **श्री**	**<u>प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–</u>** हानि के विषय में धारा 454, 457 से 460 भा0द0वि0 **श्री**	**<u>पंचम समूहः विशेष इकाईयॉ–</u>** पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थान। **श्री**	**<u>तृतीय समूह– आपदा प्रबन्धनः</u>** आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में अन्य विभागों से सामंजस्य तथा गैर सरकारी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) की भूमिका। **श्री** .....

148	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षण:** इंटरनेट– ई–मेल एकाउंट बनाना, ई–मेल भेजना/प्राप्त करना/फाइल डाउनलोड करना। **स्थानीय स्तर से कंप्यूटर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**सप्तम समूह– पुलिस का निम्न के साथ आचरण एवं व्यवहार'–** पत्रकारों के साथ आचरण। **श्री .....**	**द्वितीय समूह "स्थानीय अधिनियम"–** उ0प्र0 डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1983 **श्री .....**	**तृतीय समूह– आपदा प्रबन्धन:** राहत सेवाओं के रख–रखाव के प्राविधान। **श्री .....**	**पंचम समूह: विशेष इकाईयॉ–** सेन्ट्रल रिर्जव/राज्य मोटर परिवहन सीतापुर, सेन्ट्रल स्टोर कानपुर। **श्री .....**
149	**चतुर्थ समूह– अभियोजन–** जनपदीय न्यायिक व्यवस्था। **अतिथि व्याख्यान (जिला जज अथवा अन्य जनपदीय स्तर पर अन्य जज)**	**सप्तम समूह– पुलिस का निम्न के साथ आचरण एवं व्यवहार'–** छात्र एवं युवा वर्ग के साथ व्यवहार। **श्री .....**	**द्वितीय समूह "स्थानीय अधिनियम"–** उ0प्र0 डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1983 **श्री .....**	**तृतीय समूह– आपदा प्रबन्धन:** बाढ़ राहत कार्यों में पुलिस एवं पी0ए0सी0 की भूमिका। **श्री .....**	**पंचम समूह: विशेष इकाईयॉ–** उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इहालाबाद **श्री .....**
150	**षष्टम समूह: डी0एन0ए0–** डी0एन0ए0 जॉच का विभिन्न प्रकार के अपराधों की विवेचना में उपयोग एवं महत्ता। **अतिथि व्याख्यान (विषय विशेषज्ञ अथवा फील्ड यूनिट के विषय विशेषज्ञ वैज्ञानिक अधिकारी)**	**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** दस्तावेजों और सम्पत्ति चिन्हों सम्बन्धी अपराध के विषय में धारा 463, 464, 465 भा0द0वि0 **श्री .....**	**सप्तम समूह– पुलिस का निम्न के साथ आचरण एवं व्यवहार'–** गवाहों के साथ व्यवहार। **श्री .....**	**चतुर्थ समूह– अभियोजन–** न्यायालयों की शक्तियॉ। **अतिथि व्याख्यान (जिला जज अथवा अन्य जनपदीय स्तर पर अन्य जज)**	
151	**सप्तम समूह– पुलिस का निम्न के साथ आचरण एवं व्यवहार'–** अभिरक्षा में अभियुक्त के साथ आचरण। **श्री .....**	**प्रथम समूह "द0प्र0सं0"–** पुलिस की सूचना और उसकी अन्वेषण करने की शक्ति धारा 165 से 169 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**पंचम समूह: विशेष इकाईयॉ–** ग्राम सुरक्षा समितियॉ एवं प्रान्तीय रक्षा दल **श्री .....**	**तृतीय समूह– आपदा प्रबन्धन:** राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिनियम (नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट) **श्री .....**	
152	**षष्टम समूह: डी0एन0ए0–** डी0एन0ए0 का सैंपल लेना एवं पैक कराने की प्रक्रिया तथा परीक्षण हेतु भेजने की प्रक्रिया। **अतिथि व्याख्यान (विषय विशेषज्ञ अथवा फील्ड यूनिट के विषय विशेषज्ञ वैज्ञानिक अधिकारी)**	**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** दस्तावेजों और सम्पत्ति चिन्हों सम्बन्धी अपराध के विषय में धारा 466, 467, 468 भा0द0वि0 **श्री .....**	**सप्तम समूह– पुलिस का निम्न के साथ आचरण एवं व्यवहार'–** विवाद के समय आचरण। **श्री .....**	**तृतीय समूह– आपदा प्रबन्धन:** राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिनियम (नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट) **श्री .....**	**पंचम समूह: केन्द्रीय पुलिस संगठन उद्देश्य एवं लक्ष्य–** आई0बी0, आर0 एण्ड ए0 डब्लू0 (रॉ) **श्री .....**
153	**चतुर्थ समूह– अभियोजन–** पैरोल एवं परीवीक्षा की विधि। **ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा व्याख्यान**	**प्रथम समूह "भा0द0वि0"–** दस्तावेजों और सम्पत्ति चिन्हों सम्बन्धी अपराध के विषय में धारा 470, 471 व 472 भा0द0वि0 **श्री .....**	**सप्तम समूह– पुलिस का निम्न के साथ आचरण एवं व्यवहार'–** दुराचारी के साथ आचरण। **श्री .....**	**द्वितीय समूह "केन्द्रीय विविध अधि0"–** जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 123 से 135, 139 **श्री .....**	**पंचम समूह: केन्द्रीय पुलिस संगठन उद्देश्य एवं लक्ष्य–** सी0बी0आई0 **श्री .....**

154	<u>षष्टम समूहः फोटोग्राफी</u>– घटनास्थल की फोटोग्राफी का महत्व एवं उपयोगिता। **अतिथि व्याख्यान (विषय विशेषज्ञ अथवा फील्ड यूनिट के विषय विशेषज्ञ अधिकारी)**		<u>प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''</u>– पुलिस की सूचना और उसकी अन्वेषण करने की शक्ति धारा 173 से 176 द0प्र0सं0 **श्री ....**	<u>द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''</u>– जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 123 से 135, 139 **श्री ....**	<u>पंचम समूहः– व्यवहारिक ज्ञानः</u> रोजनामचा आम का लिखना– आमद, रवानगी तथा वापसी अंकित करना। **श्री................**	
155	<u>षष्टम समूहः फोटोग्राफी</u>– घटनास्थल की फोटोग्राफी का महत्व एवं उपयोगिता। **अतिथि व्याख्यान (विषय विशेषज्ञ अथवा फील्ड यूनिट के विषय विशेषज्ञ अधिकारी)**		<u>अष्टम समूहः स्वाध्याय</u> भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश व उनकी राजधानियॉ तथा भारत के मानचित्र की व्यवहारिक जानकारी एवं पडोसी देश की सीमायें।	<u>द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''</u>– जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 123 से 135, 139 **श्री ....**	<u>पंचम समूहः– व्यवहारिक ज्ञानः</u> रोजनामचा आम में लिखी जाने वाली बातों का ज्ञान तथा लिखने के नियम। **श्री................**	
156	<u>षष्टम समूहः फोटोग्राफी</u>– घटनास्थल का चित्र लेना। **अतिथि व्याख्यान (विषय विशेषज्ञ अथवा फील्ड यूनिट के विषय विशेषज्ञ अधिकारी)**		<u>प्रथम समूह ''भा0द0वि0''</u>– करेन्सी नोटों और बैंक नोट के कूटकरण धारा 489क से 489ड तक भा0द0वि0 **श्री ....**	<u>सप्तम समूह– पुलिस का निम्न के साथ आचरण एवं व्यवहार</u>'– पुलिस थाने पर शिकायतकर्ता के साथ आचरण। **श्री ....**	<u>पंचमसमूहः– व्यवहारिक ज्ञानः</u> बीट–बुक तथा बीट सूचना रजिस्टर। **श्री................**	
157	<u>चतुर्थ समूह– अभियोजन</u>– पैरोल एवं परीवीक्षा पर छूटे हुए व्यक्तियों की निगरानी। **श्री ....**		<u>प्रथम समूह ''भा0द0वि0''</u>– करेन्सी नोटों और बैंक नोट के कूटकरण धारा 489क से 489ड तक भा0द0वि0 **श्री ....**	<u>द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''</u>– राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम 1971 **श्री ....**	<u>सप्तम समूहः स्वाध्याय</u> <u>भारत का भुगोल</u>– प्राकृतिक भाग, मुख्य औद्योगिक नगर, रेलवे लाइन, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, मुख्य नदियॉ।	<u>सप्तम समूह– पुलिस का निम्न के साथ आचरण एवं व्यवहार</u>'– यातायात उल्लंघन करने वालों के साथ आचरण। **श्री ....**
158	<u>अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षणः</u> <u>सी0सी0आई0एस0</u>– साफ्टवेयर लोड करने हेतु उपयुक्त कंप्यूटर **विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	<u>द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''</u>– राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम 1971 **श्री ....**	<u>षष्टम समूहः फोटोग्राफी</u>– इन्फ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एक्सरेज का भौतिक साक्ष्य ढूंढने तथा अनुसंधान में इनका प्रयोग एवं महत्व। **अतिथि व्याख्यान (विषय विशेषज्ञ अथवा फील्ड यूनिट के विषय विशेषज्ञ अधिकारी)**		<u>प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''</u>– जमानत एवं बंध पत्रों के बारे में उपबंध धारा 436 से 439 एवं 446 द0प्र0सं0 **श्री ....**	<u>पंचमसमूहः– व्यवहारिक ज्ञानः</u> प्रथम सूचना रिर्पोट रजिस्टर। **श्री................**
159	<u>अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षणःसी0सी0आई0एस0</u>– सीसीआईएस साफ्टवेयर की पुलिस विभाग में उपयोगिता। **विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	<u>षष्टम समूहः प्राथमिक चिकित्सा</u>– जल में डूबने एवं फॉसी लगाने पर कृत्रिम श्वांस दिया जाना। **व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**	<u>सप्तम समूह– पुलिस का निम्न के साथ आचरण एवं व्यवहार</u>'– मजदूरों के साथ **श्री ....**	<u>सप्तम समूहः स्वाध्याय</u> <u>सामान्य जानकारी</u>– पुलिस स्मृति दिवस, अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट, उपलब्धियॉ तथा पुरूस्कार।	<u>पंचमसमूहः– व्यवहारिक ज्ञानः</u> ग्राम अपराध रजिस्टर तथा फ्लाई शीट। **श्री................**	

160	**सप्तम समूह– पुलिस का निम्न के साथ आचरण एवं व्यवहार'–** अपरिपक्व, अपंग एवं असहाय व्यक्तियों के साथ। **श्री .....**	**प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–** विवाह सम्बन्धी अपराधों के विषय में धारा 494, 497 व 498 भा0द0वि0 **श्री .....**	**षष्टम समूहः व्यवहारिक प्रयोग–** विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों एवं उनके लक्षणों की पहचान। **व्याख्यान (विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ अथवा विषय विशेषज्ञ)**			
161	**अष्टम समूह– टेलीफोन/मोबाइल कम्यूनीकेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस–** प्रदेश में कार्यरत मोबाइल कंपनियों के नाम एवं मुख्यालय तथा फोन नंबर। **अतिथि व्याख्यान (जनपद स्थित एस0ओ0जी0/ इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस सेल के प्रभारी अथवा विषय विशेषज्ञ)**		**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महत्वपूर्ण धारायें। **श्री .....**	**पंचमसमूहः– व्यवहारिक ज्ञानः** अपराध रजिस्टर। **श्री.....**	**सप्तम समूह– पुलिस का निम्न के साथ आचरण एवं व्यवहार'–** पुलिस का पर्यटकों से सहयोगात्मक/मधुर व्यवहार आवश्यकता एवं महत्व। **श्री .....**	
162	**षष्टम समूहः प्राथमिक चिकित्सा–** जहर खाने एवं जलने की दशा में प्राथमिक उपचार। **व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**		**प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–** पति अथवा पति के सम्बन्धियों द्वारा क्रूरता के विषय में धारा 498ए भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महत्वपूर्ण धारायें। **श्री .....**	**सप्तम समूह– पुलिस का अन्य विभागों से तालमेल व उपयोगिता'–** पुलिस का तहसील विभाग से सबंध व उपयोगिता। **श्री .....**	**पंचम समूहः– व्यवहारिक ज्ञानः** संपत्ति रजिस्टर। **श्री.....**
163	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षणः** सी0सी0आई0एस0– आई0आई0एफ0 फार्म भरने का तरीका एवं क्वेरी। **विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**		**प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''–** जमानत एवं बंध पत्रों के बारे में उपबंध धारा 436 से 439 एवं 446 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महत्वपूर्ण धारायें। **श्री .....**	**सप्तम समूह– पुलिस का अन्य विभागों से तालमेल व उपयोगिता'–** पुलिस का ब्लाक डबलपमेंट अधिकारियों से सबंध व उपयोगिता। **श्री .....**	**पंचम समूहः– व्यवहारिक ज्ञानः** कैश बुक **श्री.....**
164	**अष्टम समूह– इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस–** कानूनी प्राविधान तथा अनुमति। **अतिथि व्याख्यान (जनपद स्थित एस0ओ0जी0/ इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस सेल के प्रभारी अथवा विषय विशेषज्ञ)**		**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महत्वपूर्ण धारायें। **श्री .....**	**पंचम समूहः– व्यवहारिक ज्ञानः** डाक रजिस्टर एवं नामिनल रोल। **श्री.....**	**षष्टम समूहः व्यवहारिक प्रयोग–** ट्रेप केसेज में रंगों और रसायनों का प्रयोग। **व्याख्यान (भ्रष्टाचार निवारण संगठन के अधिकारी अथवा सर्तकता अधिष्ठान के अधिकारी द्वारा)**	
165	**अष्टम समूह– कंप्यूटर प्रशिक्षणः**सी0सी0आई0एस0– सीसीआईएस का ऑन लाइन प्रयोग। **विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करके**	**प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–** आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में धारा 503, 504 भा0द0वि0 **श्री .....**	**षष्टम समूहः प्राथमिक चिकित्सा–** दौरा पड़ने एवं झुलसने की दशा में प्राथमिक उपचार। **व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**		**पंचम समूहः– व्यवहारिक ज्ञानः** जॉच पर्ची ''अ'' तथा ''ब'' **श्री.....**	

166	**अष्टम समूह– इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस–** विधि एवं कार्यप्रणाली तथा उपयोगिता। **अतिथि व्याख्यान (जनपद स्थित एस0ओ0जी0 / इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस सेल के प्रभारी अथवा विषय विशेषज्ञ)**		**प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''–** अपराधों के संज्ञान के लिए परिसीमा काल धारा 468, 469 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**षष्टम समूहः प्राथमिक चिकित्सा–** हड्डी टूटन, घाव, रगड़, नीलगू घाव पर मरहम पट्टी करने का व्यवहारिक ज्ञान। **व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**	**पंचम समूहः– व्यवहारिक ज्ञानः** मफरूर रजिस्टर **श्री.....**
167	**अष्टम समूह– इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस–** विभिन्न उपयोगी उपकरण। **अतिथि व्याख्यान (जनपद स्थित एस0ओ0जी0 / इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस सेल के प्रभारी अथवा विषय विशेषज्ञ)**		**प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''–** अपराधों के संज्ञान के लिए परिसीमा काल धारा 470, 471 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**षष्टम समूहः प्राथमिक चिकित्सा–** घायलों को उठाने एवं स्टेचर न होने की दशा में ले जाने का व्यवहारिक ज्ञान। **व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**	**पंचम समूहः– व्यवहारिक ज्ञानः** कॉज लिस्ट **श्री.....**
168	**अष्टम समूह– इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस–** कॉल डाटा रिकार्ड प्राप्त करना एवं विश्लेषण करना तथा संदिग्धों / अपराधियों की स्थिति का पता लगाना। **अतिथि व्याख्यान (जनपद स्थित एस0ओ0जी0 / इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस सेल के प्रभारी अथवा विषय विशेषज्ञ)**		**प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–** आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में धारा 506 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** एन0आई0ए0 (नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी) एक्ट **श्री .....**	**सप्तम समूह– पुलिस का अन्य विभागों से तालमेल व उपयोगिता'–** पुलिस का टेलीफोन विभाग से सबंध व उपयोगिता। **श्री .....**	**पंचम समूहः– व्यवहारिक ज्ञानः** दोषी अपराधियों का रजिस्टर। **श्री.....**
169	**प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''–** अपराधों के संज्ञान के लिए परिसीमा काल धारा 472, 473 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** एन0आई0ए0 (नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी) एक्ट **श्री .....**	**पंचम समूहः– व्यवहारिक ज्ञानः** इन्डेक्स अपराध रजिस्टर **श्री.....**	**सप्तम समूहः स्वाध्याय** सामान्य जानकारी– विभिन्न खेल प्रतियोगितायें, विश्व प्रसिद्व व्यक्तित्व, विख्यात पुस्तकें।	**षष्टम समूहः प्राथमिक चिकित्सा–** प्राथमिक चिकित्सा का अभ्यासिक प्रदर्शन। **व्याख्यान (चिकित्सक अथवा विषय विशेषज्ञ)**
170	**प्रथम समूह ''भा0द0वि0''–** अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में धारा 511 भा0द0वि0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** एन0आई0ए0 (नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी) एक्ट **श्री .....**	**पंचम समूहः केन्द्रीय पुलिस संगठन उद्वेश्य एवं लक्ष्य–** सी0आई0एस0एफ0, एन0एस0जी0, एस0पी0जी0 **श्री .....**	**षष्टम समूहः व्यवहारिक प्रयोग–** विभिन्न प्रकार के जले एवं कटे–फटे अभिलेखों को उठाना एवं पैक करना। **व्याख्यान (विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ अथवा विषय विशेषज्ञ)**	
171	**अष्टम समूह–** फैक्स मशीन की जानकारी। **विषय विशेषज्ञों द्वारा।**	**प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''–** अपराधों के संज्ञान के लिए परिसीमा काल धारा 482 द0प्र0सं0 **श्री .....**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–** एन0आई0ए0 (नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी) एक्ट **श्री .....**	**षष्टम समूहः व्यवहारिक प्रयोग–** विभिन्न प्रकार के विषों की पहचान। **व्याख्यान (विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ अथवा विषय विशेषज्ञ)**	
172	**अष्टम समूह–** फोटो स्टेट मशीन की जानकारी। **विषय विशेषज्ञों द्वारा।**	**प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''–** अपराधों का वर्गीकरण– **प्रथम अनुसूची।** **श्री .....**	**द्वितीय समूह ''केन्द्रीय विविध अधि0''–**एन0आई0ए0 (नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी) एक्ट **श्री .....**	**षष्टम समूहः व्यवहारिक प्रयोग–** घटनास्थल से प्राप्त विभिन्न प्रर्दशों का निरीक्षण, उठाना, पैक करना। **व्याख्यान (विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ अथवा विषय विशेषज्ञ)**	

173	**अष्टम समूह– इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस–** फोन टेपिंग ''मोबाइल पर संदिग्धों/अपराधियों को सुनना एवं उनकी उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करना। **अतिथि व्याख्यान (जनपद स्थित एस0ओ0जी0/ इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस सेल के प्रभारी अथवा विषय विशेषज्ञ)**	**प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''–** अपराधों का वर्गीकरण– **प्रथम अनुसूची।** **श्री .....**	**पंचम समूहः केन्द्रीय पुलिस संगठन उद्देश्य एवं लक्ष्य–** एस0एस0बी0, बी0एस0एफ0 **श्री .....**	**षष्टम समूहः व्यवहारिक प्रयोग–** घटनास्थल की फोटोग्राफी करना। **व्याख्यान (विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ अथवा विषय विशेषज्ञ)**	
174	**अष्टम समूह– इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस–** विभिन्न अपराधों/घटनाओं के अनावरण में इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस का प्रभावी प्रयोग का ज्ञान। **अतिथि व्याख्यान (जनपद स्थित एस0ओ0जी0/ इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस सेल के प्रभारी अथवा विषय विशेषज्ञ)**	**प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''–** अपराधों का वर्गीकरण– **द्वितीय अनुसूची।** **श्री .....**	**सप्तम समूह– पुलिस का अन्य विभागों से तालमेल व उपयोगिता'–** पुलिस का बिजली विभाग से सबंध व उपयोगिता। **श्री .....**	**पंचम समूहः– व्यवहारिक ज्ञानः** फर्द लेखन। **श्री.....**	
175	**अष्टम समूह–** साइबर क्राइम एवं उसका ज्ञान। **अतिथ व्याख्यान– विषय विशेषज्ञों द्वारा।**	**प्रथम समूह ''द0प्र0सं0''–** अपराधों का वर्गीकरण– **द्वितीय अनुसूची।** **श्री .....**	**पंचम समूहः केन्द्रीय पुलिस संगठन उद्देश्य एवं लक्ष्य–** सी0आर0पी0एफ0, आई0टी0बी0पी0 **श्री .....**	**पंचम समूहः केन्द्रीय पुलिस संगठन उद्देश्य एवं लक्ष्य–** आर0पी0एफ0, एन0आई0ए0 (नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी), बी0पी0आर0एण्ड डी0, एन0सी0आर0बी0 **श्री .....**	
176	**अष्टम समूह– पुलिस रेडियो संचार प्रणाली–** हैण्ड हैल्ड एवं स्टेटिक्स मोबाइल वायरलैस सेटों पर वार्ता करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण। **अतिथि व्याख्यान (सहायक रेडियो अधिकारी द्वारा)**	**पंचम समूहः केन्द्रीय पुलिस संगठन उद्देश्य एवं लक्ष्य–** केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला– नई दिल्ली, चण्डीगढ, कोलकाता, हैरदाबाद। **श्री .....**	**सप्तम समूहः स्वाध्याय** पर्यावरण– ग्लोबल वार्मिंग का ज्ञान एवं पर्यावरण संरक्षण।	**सप्तम समूह– पुलिस का अन्य विभागों से तालमेल व उपयोगिता'–** पुलिस का नगर पालिका से सबंध व उपयोगिता। **श्री .....**	**पंचम समूहः केन्द्रीय पुलिस संगठन उद्देश्य एवं लक्ष्य–** राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो कोलकाता **श्री .....**
177	**अष्टम समूह– पुलिस रेडियो संचार प्रणाली–** हैण्ड हैल्ड एवं स्टेटिक्स मोबाइल वायरलैस सेटों पर वार्ता करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण। **अतिथि व्याख्यान (सहायक रेडियो अधिकारी द्वारा)**	**अष्टम समूह– सी0सी0टी0एन0एस0 की जानकारी (भारत सरकार द्वारा योजना चालू होने के फलस्वरूप)** **अतिथ व्याख्यान– विषय विशेषज्ञों द्वारा।**		**पंचम समूहः केन्द्रीय पुलिस संगठन उद्देश्य एवं लक्ष्य–** केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला– संदिग्ध अभिलेखों का सरकारी परीक्षण कार्यालय शिमला, कोलकाता, हैदराबाद। **श्री .....**	**सप्तम समूहः स्वाध्याय** नवीन राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय घटनाचक्र।

नोटः– मध्यान्तर समय **1210** से **1225** बजे